राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम बजट सत्र की कार्यवाही

नवम बैठक, शुक्रवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज तारीख ११ अप्रेल, १९५२ ई० को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर में ८ बज कर ३५ मिनिट पर प्रारम्भ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष पद पर आसीन।

माननीय अध्यक्ष:—में देखता हूं कि श्री नाथूराम मिर्धा अभी तक नहीं आये हैं पहले उन्हें म्युनिसिपेलिटीज संशोधन बिल पुरः स्थापित करना था किन्तु वे नहीं आये हैं अतः आगे की कार्यवाही की जाती है।

श्री जसवन्तसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की बैठक शुरू होने पर भी माननीय मंत्री नहीं आये हैं। क्या वे किडनेप कर लिये गये हैं या बीमार होगये हैं या क्या बात है? क्या गवर्नमेन्ट की तरफ से यह बतलाया जायगा कि विधान सभा की बैठक शुरू हो जाने पर भी जिन माननीय मंत्री महोदय का काम है क्या उनका गैर हाजिर रहना उचित है?

माननीय टीकाराम पालीवाल:—मुझे अभी इस बात की सूचना नहीं मिली है कि वे क्यों नहीं आये हैं? यदि किडनेप कर लिये गये हैं तो मुझसे पहले आपके पास खबर आनी चाहिये। मैं समझता हूं वे आते ही होंगे।

श्री जसवन्तसिंह:—विधान सभा में जब उनका पहले काम है तो उनको दूसरा काम छोड़ कर पहले यहां आना जरूरी है।

माननीय टीकाराम पालीवाल:—वे अभी आते ही होंगे।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—वे आगये हैं किडनेप नहीं हुए हैं।

आय-व्ययक (बजट) पर सामान्य वाद-विवाद

माननीय अध्यक्ष महोदय: बजट पर साधारण बहस प्रारम्भ की जाय।

श्री श्यामलाल गोयल:—माननीय अध्यक्ष, जो दो तीन रोज से बजट पर बहस हो रही है इसमें इसका किसी सदस्य द्वारा समर्थन भी किया जा रहा है और किसी सदस्य ारा इसमें खराबियें भी बतलाई जा रही हैं। लेकिन जहां तक राजस्थान की आय का सवाल है, घाटे का सवाल है, मेरे ख्याल से जो बजट इस वक्त प्रस्तुत किया

गया है इससे अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था; क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई बजट पेश किया जाता ह तो दूसरे सब लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। खास कर किसी मद में ज्यादा खर्चा करना होता है लेकिन साथ ही मैं यह महसूस करता हूं कि इस बजट में जो आय दिखलाई गई है, इसमें जो आंकड़े दिखलाये गये हैं वे जिस प्रकार दिखाई देने चाहिये थे नहीं दिखाये गये हैं। मैं खास तौर से आय-कर को लेता हूं। सन ५१-५२ के आंकड़े साढे बारह लाख के हैं और ५२-५३ के आंकड़े सवा तेरह लाख के बताए गए हैं। मैं इस सम्बन्ध में जहां तक जानता हूं आज तक जो आय-कर लगते थे वे सौराष्ट्र रेट से लगते थे और उसके माफिक हिन्दुस्तान की रेट से बहुत कम लिया जाता था। जहां तक मुझे मालूम है इस साल आय-कर बढ़ कर यूनियन की रेट का २/३ हो जावेगा। अब तक जो आय कर वसूल हुआ है उससे तिगुना वसूल होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आय कर इतना बढ़ जावेगा तो ७५ हजार की बढ़ोतरी जो बतायी गई है, वह कैसे बतायी गयी है। वह कम से कम इ[illegible] इसी प्रपोरशन से तीन लाख हो जानी चाहिये। इस हिसाब से शिक्षा क[illegible] बताया गया है। इसलिये जहां तक बजट में आंकड़े बताये गये हैं उसके [illegible]७ लाख रुपया प्राइमरी, सेकन्डरी शिक्षा में खर्च होने को है। इससे यह [illegible] नहीं पडता कि कहां कहां कितनी स्कूलें और किस प्रकार की स्कूलें खोल। जावेगी क्योंकि इसमें एपेन्डिक्स नहीं दिया गया है। दूसरों के एपेन्डिक्स दिये गये हैं। शिक्षा विभाग की यह नीति है कि १० साल में राजस्थान में साक्षरता पूरे तौर पर हो जानी चाहिये। कम से कम दस प्रतिशत लोगों को साक्षर हो जाना चाहिये मगर मैं इस बजट में ऐसी बात नहीं पाता कि जिससे यह मालूम हो कि १० साल में साक्षरता हो जावेगी और अगर यह काम नहीं हुआ तो १० साल में सारे राजस्थान में साक्षरता होना बहुत मुश्किल है। मैंने इसके अलावा जो यहां का पागल खाना है उसके मुतल्लिक फिगर देखा। उसके माफिक पिछले साल ७० हजार का खर्चा था, किन्तु इस साल उसके बजाय ७२ हजार का खर्चा है। अभी मुझे कुछ दिन हुए एक पागल को भर्ती कराने का इतफाक हुआ; तो मैंने देखा कि वहां पर हर रोगी को ३ छटांक सुबह और ३ छटांक राशन शाम को दिया जाता है और यह मालूम हुआ कि वहां का हर रोगी कुछ ही दिनों में यानी एक सप्ताह में दो पौन्ड तक घट जाता है। बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जो खाना पूरी मात्रा में नहीं मिलने से मर जाते हैं। और कहा यह जाता है कि जयपुर में राशन तीन छटांक दिया जाता है। मैं यह कहूंगा कि वह राशन रोगियों के लिये नहीं होना चाहिये। हमको रोगियों को खाने पीने को पर्याप्त मात्रा में देना चाहिये। कम से कम यह तो अवश्य होना चाहिये कि वह रोगी वहां जाकर ठीक तो हो जाए। लेकिन वस्तु स्थिति को दखते हुए यह कहा जा सकता है कि पागलखाने की यह दशा संतोषजनक नहीं है। अगर यही हालत वहां की रही तो कोई जनहित का काम नहीं होगा और न उससे पागलों को ही कोई राहत मिलेगी।

बजट जो सरकार की तरफ से पेश हुआ है उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि इसमें सवाई माधोपुर को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। जो एपेन्डिक्स

दी गई हैं उनको देखने से सवाई माधोपुर का नाम कहीं मालूम नहीं होता। एक सड़क हिन्डोन से गंगपुर के लिये जरूर रखी गई है। वह सड़क ऐसी है जिसका ठेका पहले दे दिया गया था और जो आज से पहले ही बन जानी चाहिये थी। इसका प्रोविजन क्या है? सवाई माधोपुर में कोई कॉलेज नहीं है। दो तीन हाई स्कूलें जरूर हैं। बजट को देखने से मालूम होता है कि सरकार का वहां पर कोई कॉलेज खोलने का कोई ख्याल है। मैं यह अर्ज करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होना अनिवार्य है। अगर कालेज नहीं तो शिक्षा का किसी प्रकार का और प्रबन्ध होना चाहिये।

इसके अलावा जो एक दो बातें मैंने देखी हैं उनके मुतल्लिक अर्ज करूं। सपोटरा तहसील मत्स्य में है जिसमें होस्पिटल है। वहां होस्पिटल का मकान तीन चार साल पहले बनाया जो वैसे ही पड़ा है। उसके कुछ हिस्से पर छतें नहीं पड़ी हुई थीं। मगर अभी तक छतें नहीं डाली गई हैं। और किवाड़ नहीं डाले गये। इसके लिये थोड़ी से रुपयों की जरूरत है। डाक्टर को किराये के मकान में रहना पड़ता है। सरकार का किराया लगता है। मैं समझता हूं कि छतें डलवा कर किवाड़ लगवा दिये जावें तो सरकार का काफी रुपया बच सकता है। गंगापुर में होस्पिटल बना है बहुत अच्छा बना है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब पहले ही होस्पिटल चलाने की नियत से ही वह इमारत बनी थी फिर भी उसमें दवाइयों आदि रखने के लिए एक भी अलमारी नहीं रखी गई है। आप वहां देखेंगे कि दवाइयें नीचे रखी हुई हैं। इस तरह से दवाइयें रखी रहने से बहुत नुकसान है। क्योंकि दवाइयों में पोइजन की कई दवाइयें होती हैं। अगर भूल से एक दूसरे में मिल जायं तो बहुत अहित हो सकता है। दवाइयें नीचे फर्श पर या खिड़कियों में रखी रहती हैं इसलिये अलमारियें उन्हें दी जावें। बराबर वे लोग अलमारियों के लिये लिख रहे हैं मगर इसके लिये कोई इन्तजाम नहीं होता। इसके अलावा मैं यह अर्ज करूं कि नारोली ग्राम में एक औषधालय व एक डिस्पेन्सरी भी है। मगर वहां रोगियों की संख्या २/३ से ज्यादा नहीं; जबकि ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर होस्पिटल और औषधालयों की जरूरत है; वहां पर खोले जावें।

श्री हरिदेव जोशी:—अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से राजस्थान के पहले प्रजातांत्रिक बजट पर बहस हो रही है इस पक्ष और विपक्ष के सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रगट किये हैं कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय इसके पक्ष में दी है। उन्होंने इसको एक अच्छा बजट बताया है। कइयों ने इसके विरोध में इसे, अप्रजातांत्रिक और नौकरशाही का बजट बताया है। यह अपनी व्यक्तिगत राय है, अपने निजी विचार हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बजट निश्चित रूप से सबको खुश नहीं कर सकता और न ऐसा हो सकता है। अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने आयोजनों के अनुसार हरेक को प्रसन्न करना और उसके ऊपर राय जाहिर करना अपने दृष्टिकोण से सम्बन्ध रखता है। जिस ढंग से इस बजट के ऊपर चर्चा हो रही है मैं ऐसा समझता हूं कि दोनों पक्षों द्वारा इस बारे में इधर, उधर से कुछ ज्यादा कहा गया है। जहां तक बजट के समर्थन का सवाल है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन

जहां तक इस बजट पर कहा गया है, यह बता रहा है कि इस बजट के अन्दर गांवों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया है। यह बजट कमजोर और परतंत्र सरकार का बजट है। इस बजट द्वारा मालदारों के ऊपर कोई कर नहीं लगाया गया है। यह है मुख्य मुख्य बातें जिनको लेकर इस बजट की आलोचना की गई है। जहां तक छोटी मोटी चीजों का सवाल है, किसी डिस्पेन्सरी, या स्कूल आदि के सवाल हैं मैं इसके अन्दर जाना नहीं चाहता। ये सब बातें कट मोशन्स के वक्त ली जा सकती थी। जहां तक इस पर अपनी राय प्रगट करने का सवाल है मैं अपने विचार बजट तक ही सीमित रखूंगा।

मैं इस बजट की अच्छाई और बुराई को उन परिस्थितियों का आधार समझता हूं जिनमें हमारा देश चल रहा है; जिन परिस्थितियों में आज हम रह रहे हैं। खास तौर से राजस्थान के इस प्रदेश की जो स्थिति है उससे हम अपने को अलग नहीं रख सकते, न हमारे बजट ही अलग हो सकते हैं, न प्रान्त की परिस्थितियों को इस बजट से अलग किया सकता है। राष्ट्र के जीवन के अन्दर ऐसे समय आया करते हैं जो उसके लिए जीवन–मरण के समय हुआ करते हैं। एसे समय में हमारा आज का बजट एक ऐसे समय का बजट है जिसके अन्दर हमारी सरकार को कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। इसलिये इस बजट को जितना गौर से देखा मुझे मालूम हुआ कि जितना खर्चा सरकार साधारण तौर से काट सकती थी उतना काटने की कोशिश की। उसने कहीं कहीं कर या टैक्स साधारण तौर पर लगाये जाने की व्यवस्था की और इस बजट में संकेत किया है। जहां तक नये टैक्स का सवाल है, मैं समझता हूं कि आलोचना करने वाले मित्रों ने शायद इन टैक्सेज के बार में बहुत ज्यादा निकट में जाने की कोशिश नहीं की। एग्रिकलचर टैक्स के बार में, जिस पर पिछले दो दिनों से काफी कहा जा रहा है, जो अभी तक भविष्य के गर्भ में हैं, यह कहा गया है कि यह टैक्स पूंजीपतियों पर नहीं लगाया गया है किसानों के ऊपर लगाया गया है–जो बेबस हैं, गरीब हैं और जिनके पास न पहनने को कपड़ा है न खाने को अन्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा अध्ययन इस टैक्स के बारे में ऐसा है और मैं यह जानता हूं कि यह साधारण खेती करने वालों के ऊपर नहीं है। यह निश्चित रूप से उन खेती करने वालों पर है जो खेत के ऊपर आधारित नहीं; जिनका धंधा खेती का नहीं बल्कि जो खेतों से पूंजीपति बनना चाहते हैं। जिनकी खेती हल बैलों की खेती नहीं, दो चार बीघा जमीन की खेती नहीं जिनके दो बीघा के खेत नहीं; ये खेत सैकड़ों बीघों के होंगे जहां पर ट्रेक्टरों द्वारा खेती की जाती होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, व्यापार करने वाले मालदार व्यापारियों पर भी उचित टैक्स लगाये जाने चाहियें। मैं समझता हूं इसका असर काश्तकारों पर नहीं बल्कि उन पर पड़ने वाला है जिन्होंने बड़ी २ जमीदारियां लेकर बड़ी बड़ी भूमि लेकर संग्रह की है और उस पर खेती करके जो नई जमीदारियां शुरू कर रहे हैं, उन पर पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह शकुन है, हमारे प्रान्त के अन्दर। मैं यह नहीं कहता कि केवल खेती करने वाले पर टैक्स लगाये जायं। धीरे धीरे समय लाना चाहिये जिसके अन्दर

हर आमदनी पर टैक्स लगाया जाय। जहां तक मेरे मित्रों की धारणा का सवाल है, यह कहा गया है कि इस बजट से किसानों को कोई राहत नहीं मिलती; निश्चित रूप से जितनी राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। इसमें जहां तक बजट का सवाल है, बजट इसमें बहुत ज्यादा बाधक नहीं होता। बाधक होती हैं हमारी भावनायें, हमारी मानसिक स्थिति हमारी मशीनरी, जिसके ऊपर शासन का ढांचा निर्धारित है। पिछले दो दिनों से मैंने अपने मित्रों के भाषण सुने और मैं यह समझा हूं कि बजट से उनको शिकायत नहीं, जितनी उस मशीनरी से शिकायत है। उनको इस शासन तंत्र से शिकायत है। उन्हें शिकायत है, भ्रष्टाचार के लिये। माननीय मित्रों ने यह कहा है कि टैक्स घटाये जाने चाहिये। यह खर्चा कम किया जाना चाहिये। इधर खर्चा बढाया जाना चाहिये। मेरी विनम्र राय में, जहां तक शासन के तौर तरीके का सवाल है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। कमजोरियें और खराबियें हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिये। बजट को शासन की इन चीजों से अलग रख कर देखा जाना चाहिये। कारण कि यह बजट जो प्रस्तुत है उसके ऊपर जितने भी भाषण हुए उनमें राजप्रमुख के अभिभाषण के ऊपर जो भी बातें कही गयी थीं उन्हीं की प्रतिध्वनि इस बजट पर हुए भाषणों में आई है। बजट के लिए किसी माननीय मित्र ने उचित रूप से सुझाव दिये हों यह अध्यक्ष महोदय मैं नहीं मानता। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने काफी उदार बातें रखी हैं। पर इसके लिए हम कई जगह सुनते हैं कि कांग्रेस सरकार तो सिर्फ काश्तकारों के फायदे के लिए ही सब बातें करती है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं करती। वह तो सिर्फ किसानों के बारे में ही सोचती है। तकाबी किसानों को देती है किसानों की बेदखलियां रोकती है। जहां सरकार कॉलेज व हाई स्कूल कम खुलवाती है, प्राइमरी स्कूलें ही ज्यादा खुलवाती है; इस प्रकार किसानों को आगे बढाने की चेष्टा करती है। यह उनका अविश्वास और विडम्बना है। ये अपने अपने दृष्टिकोण हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि जो कुछ किया जा सकता है उतना करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। किसानों को बेदखलियों से रोकने का प्रयत्न किया गया है, उनकी जमीन उनके पास रहे, इस प्रकार के कानून बनाने की कोशिश की गई है। उचित प्रकार से ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशीश की जा रही है कि हमारा प्रान्त धीरे धीरे समाजवाद की ओर आगे बढ़े।

हम इस ओर कदम उठायें, जिससे कि ऐसी हालत पैदा न हो कि ीरे २ पूंजीवाद और सामन्तवाद बढ़ता जाय और गरीब लोग जो हैं वह ग ीब ही बने रहें।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, अपन माननीय मित्रों का ध्यान उस ठोस कदम की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके द्वारा सरकार ने जागीरों को एबोलिश करके जनता के कन्धों के ऊपर से बहुत बड़ा जुआ जो था, उसको उतार फेंकने की कोशिश की है। इसको मैं ऊंचा कदम मानता हूं, जिसे मैं बजट से अधिक महत्व का मानता हूं। बजट के द्वारा जो काम नहीं कर सकते हैं, जो

चीज नहीं ला सकते हैं वह इस कानून ने काम किया है। हमें इस चीज की तारीफ करनी चाहिए। इसकी भावना की कद्र हमें करनी चाहिए और इस चीज में मदद देनी चहिए।

निश्चित रूप से हमारे पास में जो रुपया था, जो फिक्स्ड डिपोजिट था वह हमसे खर्च हुआ, चाहे वह बीकानेर ने दिया हो, चाहे वह जोधपुर ने दिया हो, चाहे वह उदयपुर ने दिया हो, चाहे वह जयपुर ने दिया हो। इससे कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे दिमाग में से अभी तक भी बीकानेर, जोधपुर और जयपुर की भावना नहीं निकली है। अभी हमने प्रान्त की दृष्टि से सोचना शुरू नहीं किया है। यदि हम, बीकानेर या जोधपुर के नुक्तेनिगाह से सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि यह भावना हमारे प्रान्त को बलवान नहीं बनायेगी, और इस प्रकार की चीजें प्रान्त को आगे नहीं बढायेंगी। अध्यक्ष महोदय, हमने रियासतों का एकीकरण किया, मगर हमारे हृदयों का एकीकरण आज तक नहीं हुआ। यही एक मात्र कारण है कि आज जितनी शिकायतें आ रही हैं वह उन स्थानीय चीजों को लेकर ही आ रही हैं। प्रान्त की दृष्टि से या सामूहिक दृष्टि से सामने नहीं आ रही हैं। इसमें शक नहीं है कि १०–१५ करोड़ रुपया जो हमारे पास था वह धीरे २ खतम होता जा रहा है। उनके पीछे क्या पृष्ठ भूमि है। ऐसे क्या कारण हैं कि उन कारणों को समझने की चेष्टा नहीं की जा रही है। एक समय यह हालत थी कि जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको अपनी आमदनी बढ़ाने की, उसके जरिये बढ़ाने की छूट थी। मगर जब कि हमने अपने आपको स्वेच्छा पूर्वक राजस्थान के अन्दर सम्मिलित किया तो हमने कई बात में अपने आपको सीमित कर दिया। उदाहरण के तौर पर हमें रेलवेज को भारत सरकार को दे देना पड़ा है, हमें अपना एक्साइज और इन्कमटैक्स के जो सूत्र थे वह भारत सरकार के हाथ में देने पड़े; देश के हित में, प्रान्त के हित में। भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से यह हमारा बहुत बड़ा घाटा है। रेलवे की आमदनी हमारे यहां से चले जाने के बाद एक बहुत बड़ी रकम हमारे पास से चली गई है और जो आमदनी एक नियमित, रोजमर्रा की आमदनी का जरिया था वह हमारे हाथ से चली गयी है। इस प्रकार से एक आमदनी का जरिया एक्साइज, सेन्ट्रल एक्साइज के अन्दर विलीन हो जाने के कारण से हमारे पास से चला गया है।

दूसरी तरफ हमें देखना है कि हमारे प्रान्त के निर्माण में जो स्थानीय खर्चे थे, वे काफी बढ़ गये हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे राजकर्मचारियों और अधिकारियों के निवास के लिए कई मकानात बनाने पड़े हैं। उसमें लगभग २ करोड़ रुपया लगा है और ऐसे निवास स्थान तैयार कराये गये हैं जहां पर कि सब प्रकार की सुविधायें हैं। इस राजधानी के अन्दर वह एक प्रकार के शरणार्थी के रूप में थे। उनका शरणार्थीपन मिटाना पड़ा और उन्हें उस ढंग के आवास देने पड़े। यह एक स्थिति थी जो इस कारण, मजबूरी तौर पर, आई और उसे हमें भुगतना पड़ा।

कुछेक कारण दूसरे भी हैं जिनको कि शायद बहुत कम महसूस किया जा रहा है। हमारे यहां ८०० या १००० वर्ष से निरन्तर राजाओं का शासन था

और उस जमाने में जन सेवा के जो कार्य हो सकते थे उनके लिए मांग करने का साहस हम लोगों के अन्दर नहीं था। किन्तु अब नया जमाना आया, उसमें तबदिली आई, और उस तबदिली के परिणामस्वरूप आज एक नई हालत पैदा हुई है। इसको हम स्वस्थता और स्वाभाविकता भी कह सकते हैं। आज हम सोचते हैं कि जितना भी काम हो सकता है वह बहुत ही जल्दी कर दिया जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कॉलेज खुलने चाहिए। ८०० वर्षों तक तो उन लोगों को कोई साहस नहीं हुआ और आज तो वह कहने लगे कि हमारे यहां स्कूल खुलने चाहिये, हमारे यहां अस्पताल खुलने चाहिए, या यह चीज तो बन ही जानी चाहिए। यह एक ऐसी प्रथा है जो हमको सही तौर पर काम नहीं करने देती है। निश्चित रूप से कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। हमारा जो भी काम हो वह योजनाबद्ध होना चाहिये।

मेरे एक माननीय मित्र ने जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, कुछ सुझाव दिये हैं और उन सुझावों में एक यह भी सुझाव दिया गया है कि मंत्रियों के वेतन भी घटाये जायं। मंत्रियों के वेतन के बारे में और कुछ निश्चित सुझाव दिये होते तो हम उनका स्वागत करते। मैंने किन्हीं मंत्री महोदय से राय नहीं ली है। किन्तु मैं समझता हूं कि किसी भी प्रान्त से हमारे प्रान्त के मंत्री इस मामले में पीछे नहीं रहने वाले हैं। यदि अन्य प्रान्तों में मंत्री लोग जितनी भी कटौती करेंगे, यदि वह वाजिब होगी तो निश्चित रूप से हमारे मंत्री भी ऐसा करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए हमें उस मानदंड को भी देखना होगा कि किस अधिकारी को कितना वेतन देना चाहिए। आलोचना के पहले कम से कम हमें उस सुझाव को ऐसे देखना है कि दूसरे प्रान्तों में वह कहां तक जारी है। मेरे माननीय मित्र ने महात्मा गांधी के किसी भाषण का उद्धरण दिया था। मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि हम अपने किसी कथन की पुष्टि के अन्दर कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो ठीक नहीं मालूम होती हैं। मुझे उस समय की वह चीज याद आती है जब महात्मा गांधी को जेल में डाल कर उनके चित्र और उक्तियों को वार फन्ड इकट्ठा करने के लिए काम में लाया जाता था। जवाहरलाल को क्वोट किया जाता था कि देश की रक्षा के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल ने यह कहा है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वह स्थिति नहीं है जो महात्मा गांधी ने सन् ३५ के अन्दर मंत्रियों के वेतन के बारे में कही थी। लेकिन महात्मा गांधी का नाम केवल अपने कथन की पुष्टि के लिए, केवल दिखाने के लिए लेना, महात्माजी के शब्दों का शोषण है (विचार जारी)।

माननीय अध्यक्ष:—२ मिनिट रह गये हैं।

श्री हरदेव जोशी:--इसके मायने यह नहीं हैं कि मैं आज का जो शासन का ढांचा है, बजट के अन्दर जो स्थिति रखी गई है, वेतन की जो दर रखी गई है और जो आज इस प्रान्त में हो रहा है शत प्रतिशत उन चीजों का समर्थन कर रहा हूं, और मेरे माननीय मित्रों ने इस बजट का विरोध करते हुए, इस बजट की आलोचना

करते हुए, सरकार के तौर तरीकों के बारे में जो कहा है उसका मैं खंडन करता हूं; ऐसी चीज नहीं है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारे अन्दर कमजोरियां हैं। उनको मुस्तैदी के साथ दूर करना चाहिए। उतनी ही तेजी के साथ वे दूर की जानी चाहिये जितनी तेजी के साथ एपिडेमिक (संक्रामक) बीमारियां की जाती हैं। मगर ये जो सारी बातें हैं कि इस अस्पताल के अन्दर यह हालत है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अथवा यह हो रहा है, मैं मानता हूं कि जो बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं।

श्रीमन्, मैं यह अनुभव करता हूं कि अंग्रेजों के चले जाने के बावजूद भी हमारे देश के अन्दर से अंग्रेजियत नहीं गई है। इसका एक मात्र कारण यह है कि अंग्रेजों के ढाये हुए मकान पर ही हमने यह अपनी इमारत बनाई है, जिसके ऊपर हम अपने ढंग का मकान नहीं बना सके हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम दूर न कर सकें; लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे देश के अन्दर आज विदेशीपन आता जा रहा है, विदेशीपन की ताकत बढती जा रही है, वह वांछनीय नहीं है, उसको दूर किया जाना चाहिए। इस चीज को सुधारा जाना चाहिए–जो हमारे देश की प्रगति के लिए बाधक है।

राजकर्मचारियों में विशेषकर जिस ढंग से मनमानी है, जो लापरवाही है, जो हालत इस प्रान्त के अन्दर काम करने वालों की बन रही है उन सब चीजों को दूर किया जाना चाहिए। मगर श्रीमन्, वह दूर सर्क्रेट्रियेट के अन्दर बैठे हुए क्लार्क नहीं कर सकते हैं, इस राजधानी से सैंकड़ों, हजारों मील बैठकर काम करने वाले तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी इसे दूर नहीं कर सकते हैं। इसको दूर कर सकते हैं; महकमों के उच्चाधिकारी, उनके अध्यक्ष, ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग, जो कि आज इस प्रान्त के शासन में ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर है, उनको अपना भारतीयकरण करना पड़ेगा। अपनी भावना को इस देश के अनुकूल बनाना पड़ेगा।

एक चीज जो सचमुच अखरने वाली है वह यह कि हम शासन में योजनाओं के आधार पर नहीं चलते हैं। हम एट रेन्डम बढते हैं। कहीं एक हाई स्कूल बनता है तो कहीं एक अस्पताल बन रहा है, तो एक जगह सड़क बन रही है। इस बिखरे रूप में नहीं चलकर हमें किसी योजना को लेकर चलना चाहिये, एक निश्चित योजना के आधार पर चलना चाहिए और उसको कार्यान्वित करना चाहिए। लेकिन ये आवश्यक चीजें तब हो सकेंगी जब कि हमें समय मिलेगा।

श्री शाह अलीमुद्दीन:–ओनरेबल स्पीकर साहब, आज बजट के मुबहासा का तीसरा दिन है। मैंने इस बजट को, कोशिश यह की, कि अच्छी तरह पढ़ सकूं, मगर पूरा नही पढ़ सका। दोनों जानिब के ओनरेबल मेम्बरानों की तकरीरों को बहुत गौर से सुना। बजट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए और बजट को अच्छा या बुरा बताने के लिए इस चीज की जरूरत है और हमें सिर्फ यह देखना है कि बजट को पेश करने वाले ने बजट को किन हालातों में पेश किया है, उन हालातों को

नजरअन्दाज हर्गिज नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि यह बड़ा प्रान्त है यह राजस्थान पहले कई छोटे २ हुकुमुराहनों के मातहत रहने के बाद आज एक बड़ा प्रान्त बना है। हर रियासत की जुदा हकुमतें थी। वहां के लोगों की जुदा २ आदतें थी । इन सब चीजों को एक जगह मिला कर आज इस बड़े प्रान्त की पहली लेजिस्लेचर आपके सामने मौजूद हैं जिसका यह पहला बजट पेश किया जा रहा है । हमें यह भी गौर करना है कि हमारे प्रान्त की, प्रोविंस की, लोकल सिचुएशन क्या है, हमारे प्रान्त के लोगों की आदतें किस किस्म की रही है और वह किन २ आदतों में मुब्तला रहे हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद हमें बजट को क्रिटिसाइज करना है और इन चीजों को नजर-अन्दाज करके अगर हम सिर्फ यह देखें कि जो बजट सरकार ने पेश किया है और सरकार को क्रिटिसाइज करना है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां तक सही होगा ?

बजट को देखने के बाद जाहिरा यह मालूम होता है कि यह बजट डेफिसिट बजट है। मगर मैं समझता हूं कि डेफिसिट बजट बहुत मुमकिन है डेफिसिट न रहे और बराबर का हो जाय या सर्प्लस में हो जाय । आज इस हाउस में तमाम राजस्थान के नुमाइन्दाना, (रिप्रेजेन्टेटिव) मौजूद हैं । हम और आप तमाम नुमाइन्दान यह मिलकर कोशिश करें कि हमें अपने खर्चे कम करने हैं, हमें अपनी हालत को दुरुस्त करना है तो बहुत से इखराजात में कमी हो सकती है। मसलन में यह अर्ज करता हूं कि सबसे पहले जो लाजमी चीजें इस बजट में हैं वह है लॉ एन्ड ऑर्डर । अगर इस हाउस के तमाम ओनरेबल मेम्बरान लॉलेसनेस को रोकने की कोशिश करें और हम जिस क्षेत्र से, जिस कॉंस्टिट्यूएंसी से चुन कर आये हैं वहां के लोगों में यह सेंस पैदा करे तो लॉ एन्ड आर्डर का बहुतसा खर्चा हमारा बच सकता है। इसके साथ २ दूसरा एक जरूरी महकमा जिसकी मैं समझता हूं, जरूरात अभी बाकी है, वह सप्लाई का महकमा है है । अगर वह लोग जो अनाज पैदा करते हैं इस बात की कोशिश न करें कि वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करेंगे और जिन लोगों के पास काफी तादाद में गल्ला आता है, वह इसको होर्ड करने की कोशिश न करें और उसे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया करें तो चीजों की कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। और जब ऐसा होने लगेगा तो इस महकमे पर जो खर्चा हो रहा है वह भी बच सकता है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर तमाम ओनेरेबल मेम्बरान मिलकर कोशिश करें तो खर्चे में बहुत बड़ी कमी हो सकती है।

इसके बाद मुझे यह अर्ज करना है कि मुझे यह सुन कर बड़ा दुख हुआ कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग भी मौजद है जिनके वाकई एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में है । हमें यह अच्छी तरह से मालम है कि यह गवर्नमेन्ट पीपल्स गवर्नमेन्ट है और फोर दी पीपुल्स है। अगर वाकई शासन में उन लोगों का पूरा हाथ है और हमारी बनाई हुई गवर्नमेन्ट, हमारे चुने हुए नुमाइन्दान बेबस हैं और वह कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें इस ओर जरूर देखना है, और गौर करना है कि इसका कारण क्या है। अगर हमारे नुमाइन्दानों के कामों में कोई बाधक हैं तो हमें उन्हें दूर करना है, मगर उनका काम सिर्फ मशविरा हीं देना है और

उनके तजुर्बे, लियाकत और काबलियत से फायदा उठाया जा रहा है तो हमें इसके मुतल्लिक कुछ नहीं कहना है।

इसके बाद मुझे कुछ गवर्नमेन्ट से भी अर्ज करना है कि गवर्नमेन्ट चन्द बातों की ओर ध्यान दे। तफसील के तौर पर २-३ बातों की ओर मैं गवर्नमेन्ट को अर्ज करूंगा, जिन पर वे ध्यान दें।

हमारे प्रान्त में, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टिशन के बाद हर जगह, हर सूबे में से लोग चले गये और वह जायदादें छोड़ गए। मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं है क्योंकि यह हर जगह हुआ है। जो लोग अपनी जायदादें यहां छोड़ गए हैं उन्हें कस्टोडियन में ले लिया जाना चाहिए। कस्टोडियन महकमा इसलिये है कि जो लोग जायदाद छोड़ जायं उन्हें अपने कब्जे में कर लें जहां तक लॉ का ताल्लुक है। उसके मुत्तल्लिक मुझे कोई जिक्र नहीं करना है। मगर इस बात को जरूर कहना है कि यह लॉ सही तरीके पर एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है। बहुत से ऐसे नातजुर्बेकार अफसर यहां मौजूद हैं जो उस लॉ के मुताबिक पाबन्दी नहीं करते। बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि अफसरान, ना तजुर्बाकार हैं और उन्हें रफली हैंडिल किया गया और जहां कानून की पाबन्दी होनी चाहिए वह नहीं की जा रही है। अव्वल तो यह है किसी मुकद्दमे को लिया जाता है तो पूरे सबूतों के न मिलने से वह बरसों तक चलते रहते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रान्त में भी कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे बहुत से लोग घर छोड़ कर दूसरी जगह चले गये थे और अब वे वापिस आगये हैं। उन लोगों को भी फिर से बसाना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर से आये हुए लोगों को बसाना है। वे लोग घर से निकाल दिये गये और उनके घरों पर दूसरों का कब्जा है। वे लोग यह चाहते हैं कि वे वापिस अपने घर में आबाद हों। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने घरों में दूसरों को रहते देखते हैं और वे मारे मारे फिरते हैं। लेकिन गवर्नमेन्ट को उस ओर तवज्जुह देनी चाहिये। हम लोग सब गवर्नमेन्ट की नुक्ता-चीनी करते हैं। गवर्नमेन्ट पर नुक्ताचीनी तभी कर सकते हैं जब कि जनता में जागृति पैदा करें। जनता में जागृति नहीं है, समझने की ताकत नहीं है कि हम किस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते हैं। खाली बजट बनाने वालों को दोष देना बुरा है। गवर्नमेन्ट को पुलिस महकमे का इतना ज्यादा लम्बा बजट बनाना पड़ा उसका कारण यह है उसके कारण मिनिस्टर दोषी नहीं हैं, उनको बदनामी नहीं दी जा सकती लेकिन हमारी आदतें ऐसी बुरी हैं कि हम बात बात में झगड़े पड़ते हैं। बात बात पर कम्युनल टेन्शन व झगड़े हो जाते हैं। इस तरह के झगड़ों को बन्द कर देना चाहिये। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इंडिया का कांस्टिट्यूशन बन गया है। यह एक सेक्युलर स्टेट है। यहां हर शख्स रह सकता है। हर शख्स को समान सुविधायें मिल सकती हैं यदि हम सब मिल कर इन बातों को रोकने की कोशिश करें तो गवर्नमेन्ट को इन्हें रोकने का मौका मिल सकता है। एक बात के बारे में मुझे खास तौर से कहना है, वह यह है कि बोर्डर के ऊपर जो पुलिस रहती है उसका खर्चा राजस्थान गवर्नमेन्ट को देना पड़ता है इसके बारे में मुझे अर्ज करना है कि बोर्डर

की पुलिस हमारे प्रान्त की हिफाजत के लिये रखी गई है। गवर्नमेन्ट ओफ इंडिया यदि इसका खर्चा देने के लिये इन्कार करती है तो फिर खर्चा आप ही को देना पड़ेगा; क्योंकि यदि वहां पर कोई गड़बड़ हो गई तो पहला दुःख आप ही को होगा, वहां से पहले पहले झगड़ा आप ही के प्रान्त में आवेगा इसलिये राजस्थान सरकार का फर्ज है कि घर की हिफाजत करें। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया यह खर्चा देना मुनासिब नहीं समझे और हमारी सरकार भी इस खर्चे को मन्जूर नहीं करे तो फिर हम तो लुट ही गये। इसलिये यह कहना कि यह खर्चा गवर्नमेन्ट ओफ इंडिया को करना चाहिये, गलत है।

इसके बाद यह देखना है कि जो बहुत सी सुविधाएं हमें पहले मिलती थी वे अब नहीं मिल रही हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बजट नहीं बनाया गया है। बड़े बड़े सिविलाइज्ड कंट्रीज में फ्री इलाज, फ्री तालीम आदि दी जाती है और उनके वहां चार आना, पांच आना फी इन्सान इन पर खर्च किया जाता है; लेकिन यदि अपने बजट को देखेंगे तो मालूम होगा कि आदमी दो पैसा भी इन चीजों पर नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि हमारी हालत इस काबिल नहीं है कि जितना खर्चा दूसरे प्रान्त करते हैं उतना ही हमारे प्रान्त में भी हो। यह ठीक है कि हम ऊंचे भाव रखें, हम खुद ऊंचे बनें। मिनिस्टर तभी अच्छे होंगे जब कि हमारी राय अच्छी होगी। सुख की जिंदगी बसर करना है तो गवर्नमेन्ट के साथ खुला कोओपरेशन होना चाहिये। गवर्नमेन्ट को दोष देने के बजाय हमें देखना है कि हम खुद क्या हैं; हम खुद कहां तक जिम्मेदार हैं, कहां तक इन्सानियत समझते हैं और प्रान्त को ऊंचा उठाना चाहते हैं। भाइयों की क्या सेवा करते हैं। बहुत से फालतू लड़ाई झगड़ों में समय बिताते हैं। इसलिये मेरा यह अर्ज करना है कि हमारी यह प ी लेजिस्लेटिव एसेम्बली राजस्थान की है, जिसमें हर जगह से नुमाइन्दे आये हैं इसलिये हम सबको कोशिश करनी चाहिये कि सही माने में एक दूसरे का विश्वास करे और इन्सान रहते हैं उसी तरीके से रहे और ज्यादा से ज्यादा अमन कायम हो व बुराइयें दूर हों।

यह कहा जाता है कि यहां पर भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी बहुत है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कसूर रिश्वत देने वालों का है या रिश्वत लेनेवालों का। यदि आप रिश्वत देना बन्द करेंगे तो रिश्वत लेनेवाले कैसे ले सकेंगे। भ्रष्टाचार फैलाने में रिश्वत देनेवालों का ज्यादा कसूर है।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः–डज दी ओनरेबल मेम्बर सजेस्ट देट दी मेम्बर्स ओफ दिस हाउस आर अकस्टम्ड टू गिव ब्राइब्ज।

श्री अलीमुद्दीन शाहः–आई कुड नोट हीयर दी ओनरेबल मेम्बरः

श्री इन्द्रनाथ मोदीः-आई वान्टेड टू नो, ओनरेबल स्पीकर, वेदर दि ओनरेबल मेम्बर इज ओफ दि व्यु देट दी मेम्बर्स ओफ दिस हाउस आर अकस्टम्ड टू गिव ब्राइब्ज।

श्री अलीमुद्दीन शाह:--सरटेन्ली नोट (हर्गिज नहीं) मेरा केवल यह मतलब था कि रिश्वत देनेवाले भी उतने ही कसूरवार हैं जितने कि रिश्वत लेनेवाले।

श्री ईश्वरसिंह:—अध्यक्ष महोदय, जो म्हाने बोलन की इजाजत मिली है उणके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं कानून का बेला भी नहीं जानूं लेकिन किसान होणे के नाते केवणी चाहूं हूं के सात साल तक कास्तकार कांग्रेस में मिल कर कांग्रेस को काम करियो। फिर कई के अबे आजादी मिली है। अब किसानों ने सांस आवेला। किसानों ने मजबूत और सुखी बनाया जावे तो बहुत अच्छो हो सके है। सब दुनिया सुखी हो सके है क्योंकि किसान है उठे धन है और धन धान री मशीन भी किसान ही है। मशीन ही अगर बेकार हो जावे तो बहुत बड़ी चीज हो जावे। किसान ही मर जावे तो संसार रा लोग मर जावे।

सन् ४७ रे अगस्तरी १५ तारीख आई और सपनो सोने को हुओ और तमाम दुनिया में नवी दीवाली मनाई गई और क्यो के आज परमात्मा विचार पूरो करायो पर अफसोस री बात तो आ है कि किसानों रे ऊपर जद व्यक्तिगत राजाओं रो राज हो उण वखत जिण चीज रे ऊपर १ रुपया, १।। रुपया कर रा लागता हा उणरा अब सोलह रुपिया छः आना होय गया। पछे फेर जगात री दर बढ़ी और २३ रुपया लागणा चालू हुआ। दूसरी चीज आ है कि किसान लोग बहुत सा रुपया लगा कर तमाखू री खेती चालू कीवी। उण वखत ५ रुपया उणोसं लिया जावता हा। इण तमाखू सूं १०० रुपया, ५० रुपया री आमदनी हो जावती ही। पर अब सरकार तमाखू पर ३० रुपया ६ आना मण लेवण लाग गई। इण तरेसूं कर और टैक्स बढाते बढाते किसानों री तो कमर टूट गई। बकरियां पर टैक्स, भेड पर टैक्स, बैलों पर टैक्स, ऊंट पर टैक्स। जो चीज देखे उण पर टैक्स लगा देवे। दूसरी जो जो बातों ही उणरे बारे में उम्मीद ही कि हमें स्वराज्य होयो है सब ठीक हो जावेला। पर इण उम्मेद माथे तो पाणीज फेर दियो।

जमीन रे बारे में जागीरदार और करसों रे झगड़ो हो जावतो जरे जागीरदार जमीन किसानों कने सूं खोसणरी कोशिश करता, परन्तु बाद में सरकार कानून बनायो कि वारिस होने पर किसानों को नोटिस दिया जाय कि जो कास्त करते आये हैं वे करते जावें, उनको नहीं रोका जावे। बाद में अपना उजर कर लेवे। परन्तु कांग्रेस रे राज में ओ कानून बणियो कि जो जमीनदार और कास्तकार लडाई झगडा आपस में कर रहे हैं उन दोनों को छुडा कर तीसरे आदमी को जमीन दी जाय और दोनों को कहा जाय कि कोर्ट में लडाई लड़ो। कास्तकारों रे ऊपर सरकार स्वराज्य होणे पर ओ इणतरेरो ध्यान दे रही है। अब आपही बताओ किसान दुखी है या सुखी।

कांग्रेस रो राज्य हूवणरे बाद में कई कानून ऐसे बनाये गये हैं जिससे कि मालदार, जमींदार और जो लोग काश्त करते हैं उनकी जमीन इन सबसे छुडा कर कोई तीसरे ही आदमी को दे दी जाती है; सरकार दिला देती है। इसका नतीजा यह होता है कि वे दोनों लड़ाई लड़ें और किसान की वह जमीन

जैसे १०० बीघा जमीन जिस पर वह खेती करता हो छुड़ा दी जाती है। उसके पास कोई दूसरा धन्धा नहीं रहता जब उसकी खेती छूट जाती है। तीन साल हो गई है इस प्रकार से कई लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं एक किसान जिसके पास १०० बीघा जमीन थी उससे ले ली गई। आज तीन साल से वह बेकार फिर रहा है। उसके पास कोई धन्धा नहीं किसान की कोई फरियाद नहीं सुनता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं जो ये बातें कह रहा हूं उसके यह माने नहीं कि कानून में कोई हर्ज नहीं है यह देखी हुई बात है कि दो तीन दिनों से यह संवाद चल रहा है। बहस विवाद चल रहे हैं। यहां घाटे का विवाद चल रहा है और कहा जाता है कि ९३ लाख रुपये का घाटा है। यह घाटे का होना में आप लोगों को बताऊं चाहे आप बुरा मानिये, चाहे आप भला मानिये । हमने ठिकाने बसते देखा है। जो मौजूदा पीढ़ी है उससे पहले पीढ़ी में ३ लाख रुपये का घाटा था। नौकरों की दो महिनों से तनख्वाह नहीं चुकी थी। राज काज के आदमियों को भेले किये और कहा कि बजट में घाटा है। उन्होंने वहां के बड़े बड़े सेठों और महाजनों और दूसरे लोगों को बुलाया और कहा कि घाटा है और राज के पास पैसा नहीं है। इसलिये कोई ऐसा उपाय सोचें कि जिससे सरकार और पब्लिक दोनों बची रह जावे। आप लोगों में भी अमन चैन रहे तो उस वक्त सेठों की ओर से चार लाख रुपयों की एक हुन्डी भेज दी। उससे तीन लाख रुपये तो चुका दिये गये और एक लाख रुपया खजाने में आ गया। यह सब काम बड़ी खुशी से हो गया और लोगों ने बड़ी खुशी से दे दिया। उन्होंने ५० साल तक राज्य किया और सेठ लोग राय और धन देते रहे तो आज मेरे देखने में ऐसी नौबत आ रही है कि कई करोड़ रुपयों का घाटा है। यदि अभी भी यह रुपया पूंजीपतियों से ले लिया जावे तो उचित होगा। इससे यह रुपया जो पुलिस पर खर्च होगा वह बच जावेगा और दूसरे किसानों के हित के काम में आवेगा। (चीअर्स)

मैं यह कह रहा हूं कि आज यह सुनते हुए मुझे ५-७ दिन हुए कि घाटा है । इससे निराशा हुई है । आज यहां पर जो १६० लोग चुने हुए आये हैं वे देश के काबिल आदमी हैं और यह कह आये हैं कि जनता के दुख को मिटाने का विचार करेंगे और उसको मिटावेंगे। अब यहां आकर मुझे ऐसी बातें सुनने से बहुत बड़ी निराशा हुई कि यहां पर पार्टियें ऐसी बन गई है, एक तो "हां" कहने वाली पार्टी और दूसरी "नां" कहने वाली है। "नां" कहने वाले तो हैं कमजोर और "हां"कहने वाले हैं जोरदार। और इसमें काश्तकार मेरे जैसे हैं जिन्हें यह होश नहीं है कि कौनसी बातें फायदे की हैं और कौनसी नहीं। (चीअर्स)। वे तो सदा कहने के हैं, "नेता"। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि न तो कुछ कह सकते हैं और न कुछ कहने का हक है । मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों पार्टी में काबिल आदमी जो हैं वो मिल कर ऐसा विचार करें जिससे कि जिन लोगों के पास करोड़ों रुपये हैं, १० करोड़ रुपये दें दें तो उनको क्या नुकसान होता है। जिनके पास लाखों रुपये हैं, वे १० लाख रुपये दे दें। फिर भी उनके पास लाखों और करोड़ों

रुपये रह जाते हैं। यदि ऐसा करें तो बड़ी खुशी की बात है। मगर जिस किसान के पैर में जूता नहीं, सर पर पगड़ी नहीं और गले में अंगरखी नहीं तो उस किसान को करों से मुक्त किया जावे तो अच्छा है, नहीं तो किसान की हड्डी टूट जावेगी और किसान की हड्डी टूटने से यह मशीनरी भी टूटने वाली है और जब मशीनरी टूट जावेगी तो बड़ा भारी खतरा होगा। इसलिये दोनों पार्टी के लोग मिल जावें और कुछ उपाय सोचें। किसान तो आगे ही दबा हुआ है। किसानों के पास धान नहीं होते हुए भी किसानों से लेवी के रूप में जबर्दस्ती धान वसूल किया जाता है। किसानों से ९ रुपये मन लेते हैं और बेचते हैं २० रुपये मन। इससे कांग्रेस सरकार बदनाम होती जा रही है। मैं तो यह चाहता हूं कि किसानों के फायदे की बात हो। यह नहीं कि मैं जागीरदार का फायदा होने की बात कहता हूं या किसी का पक्ष करता हूं। हमारे, किसानों के पास से चाहे लगान जागीरदार लेवें, चाहे सरकार लेवे, कोई भी लेवे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अच्छी तरह सोच कर बजट बनाया जावे। घाटा है इसको मिटाया जावे। घाटा ऐसी चीज है; घाटे से, कोई भी हो, हताश हो जाता है। घाटा एक भी आदमी को होता है तो वह बहुत बुरा है तो फिर सरकार का घाटा तो बहुत बुरी चीज है। इसके लिये बड़े राज्य से रुपये लिये जावें। बड़े राज्य के लिये एक करोड़ रुपया कोई भार नहीं है। बड़ा राज्य है कठेई घाल सके है।

दूसरी बात, किसानों के लिये फायदा पहुंचाया जा सकता है। शासन का बहुत बड़ा सवाल है शासन का बहुत बड़ा खर्चा चल रहा है। बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं मगर वे काश्तकारों के फायदे की बातें नहीं आती यदि ऐसा किया जावे तो किसानों पर कोई कर नहीं लगाना चाहिये। कर लगाना है तो बड़ों बड़ों पर लगाना चाहिये।

अब किसानों के लड़कों की पढ़ाई का प्रबन्ध भी नहीं है। उनके लिये न तो कॉलेज हैं न पूरी स्कूलें हैं। यदि सरकार ज्यादा रुपया दूसरों पर खर्च करना चाहती है तो कम से कम पांच रूपया तो किसान पर करे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिये सरकार ऐसी सुविधा करे ताकि किसानों के लड़के जिनको भी पढ़ने का हक है पढ़ सकें। इसके बाद में अर्ज करूंगा कि इस पर अच्छी तरह से विचार करें और उसके बाद बजट को पास करें और अच्छी तरह से देख कर और सोच विचार करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गुरुदयालसिंह सांधु:—अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आज जो हमारे प्रान्त का बजट है मैंने इस बजट के दोनों हिस्सों की स्टेडी की है और देखा है इसके अन्दर मेरे इलाके का नाम हर जगह नजर आता है। जब मैं एक्सपेन्डिचर की साइड देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने जितनी बार इस बजट को देखा मुझे अफसोस हुआ कि मैं देखता हूं कि मैं जिस इलाके का बसने वाला हूं, जिसको बोर्डर का इलाका कहते हैं, जिसके एक तरफ पाकिस्तान है हम लोग बोर्डर के बसने वाले हैं। हम देखते हैं कि वहां कोई सड़क नहीं आज से पहले न किसी सरकार ने वहां एक भी सड़क बनाई है जब कि वहां हजारों ट्रेक्टर, लॉरियां दूसरी तरह की गाड़ियां अनाज लेकर मंडी को आती हैं। और इतना बड़ा टैक्स

इस इलाके में मोटर और दूसरे वजूहातों से वसूल किया जाता है। आज हम देखते हैं कि इस इलाके के अन्दर १३००) रुपये एक टैक्सी के बतौर टैक्स के सरकार वसूल करती है। और वहां पर एक भी सड़क नहीं है। आज के बजट में उस जगह के लिए एक सड़क मन्जूर की गई है जिसको पदमपुर की सड़क कहते हैं; जो राजाशाही के वक्त १९४८ के टाइम में बीकानेर सरकार ने मन्जूर की थी; जो १९५० में पूरी हो जाने वाली थी। आज वह सड़क इस सरकार द्वारा जो कम्पलीट किया जायगा; वह है तीन मील का टुकड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ ९ मील बनेगी; बाकी १५ मील बचेगी। उसके लिए करीब ८ साल और लगेंगे। हनुमानगढ़—शारदूलगढ़ में एक ढाई मील का टुकड़ा बनाया जाना था जिसके लिए १ लाख ४० हजार में से १० हजार रुपया इस बजट में मन्जूर किया गया है। मैं समझता हूं कि गंगानगर हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी अनाज की मंडी है। इस मंडी की सड़कों के लिए इतना ही प्रोविजन इस बजट में रखा गया है।

शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं तो मैं देखता हूं कि इस इलाके के अन्दर एक भी डिग्री कालेज नहीं है। कुछ इस तरह के टैक्स लगाने की तजवीज की जा रही है। १५ लाख रुपये जो एग्रीकल्चर टैक्स से वसूल होने हैं। मैं समझता हूं कि उसका ज्यादा हिस्सा गंगानगर इलाके पर पड़ेगा। मैं देखता हूं कि किस तरह हम लोगों पर नये नये टैक्सों की तजवीज हो रही है। इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूलें चला रहा है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसको सरकार एक भी पैसा नहीं देती है आज ११३ स्कूल चला रहा है। मैं देखता हूं कि अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक एक मील, आधा आधा मील की दूरी पर स्कूल खोल रखे हैं; जहां सरकार के स्कूल नजर नहीं आते। शिक्षा की हालत यह है कि एक एक मील की दूरी पर स्कूल होते हुए भी एक एक स्कूल में ५०, ६०, १५०, २००, २५० तक विद्यार्थी उन स्कूलों में मिलते हैं वहां अभी तक कोई मिडिल स्कूल या हाई स्कूल नजर नहीं आता है। वहां एक पदमपुर तहसील है जिसकी आबादी करीब ६० हजार है, वहां भी कोई मिडिल स्कूल नहीं बनाया गई है। इसके मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दो लोअर मिडिल स्कूल बना रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां शिक्षा के लिए सरकार को तरफ से कुछ भी रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है, जो इस बजट के अन्दर दिखाया गया हो।

मेडिकल की हालत देखते हैं तो सिवाय गंगानगर के एक भी अस्पताल नहीं है जिसमें बहुत सा पैसा वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देता हो। सरकार ने कोई नया अस्पताल खोलने का जिक्र तक नहीं किया। आप देखेंगे कि जो पैसा वहां के लिए खर्च हो रहा है मुझे बताया जाता है कि चार पाई फी आदमी खर्च किया जा रहा है। इस इलाके में सिवाय चन्द डिस्ट्रिक्टों के और कहीं भी अस्पताल नहीं है और न इसके लिए इस बजट में ही प्रोविजन किया गया है कि वहां अस्पताल खोले जायेंगे।

मैं उस इलाके की कुछ तकलीफात का जिक्र करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि वहां के बसने वाले किसान महसूस करते हैं कि खेती की जब पैदावार होती

है, जब फसलके दिन होते हैं तो वहां अपने पड़ौसी पंजाब की ओर हमारी नजर दौडती है। उस इलाके के गावों का हम मुकाबला करते हैं। हमारे माल को डाउन किया जाता है फसल के वक्त हमने ८ रुपया मन चना बेचा है। जब कि वहां से ब्लैक मारकेट करने वाले लोग, अफसरों की मार्फत पास ही इलाके में जिसका भाव १३, १४ रुपया होता है बेचते हैं। इससे किसानों को बहुत कम कीमत वसूल होती है। गेहूं की हालत देखते हैं तो वहां पर इतनी बड़ी पाबन्दी क्यों लगायी जाती है। एक तरफ नहर का इलाका है और दूसरी तरफ १०० कदम के फासले पर दूसरा इलाका है इस तरफ १०, ११ रुपये का भाव है तो १०० गंज की दूरी पर उधर गल्ला नहीं मिल सकता वहां १६ रुपये, १७ रुपये भाव देखते हैं; वहां के कर्मचारियों की हालत यह है कि इधर से गल्ले को खरीद कर दूसरी तरफ ले जाकर उसकी ज्यादा कीमत वसूल कर लेते हैं लेकिन वहां किसान इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। इतनी बड़ी पाबन्दियां न हो तो मैं देखता हूं कि इस इलाके का किसान १०, ११ रुपये की बजाय १२, १३ रुपये की कीमत वसूल कर सकता है। दूसरी तरफ किसान १६, १७ रुपया फी मन देने की बजाय १३, १४ रुपयों में गेहूं खरीद सकता है तो खरीदने वालों को भी फायदा होगा और बेचने वाले को भी फायदा होगा। नुक्सान होगा दरमियानी एजेन्ट को। वहां के किसानों को कुचला जा रहा है।

अब मैं आपको वहां की सुगर मिल की हालत बताना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि सुगर मिल के अन्दर हमारी सरकार का १९ लाख रुपया लगा है। ४ लाख रुपया शेयर हालत में और १५ लाख रुपया दूसरा। १५ लाख की यह सूरत बतलायी गई है कि उस १५ लाख के अन्दर वहां मशीनरी लगाइ जायगी ऐसी मशीनरी जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सकेगा और गन्ने की खपत ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी। यह बतलाया जाता है कि उस १५ लाख में दो लाख रुपये तो वहां खर्च किये जायेंगे ओर १३ लाख रुपया बम्बई में खर्च कर दिया है। वहां क्या हो रहा है कि गन्ने का भाव १ रुपया १३॥ मन मुकर्रर कर दिया है। वे १ रु० १३ आना मन लेते हैं जब उसका वजन ४० सेर मन की जगह ४५ सेर मन का समझा जाता है। एक मन गन्ने का १ रु० १३ आना लेते हैं।

हर किसान को जो कारखाने पर देगा उसे ३॥ मन खांड प्रति १०० मन गन्ने के एवज में देंगे और जो माल स्टेशन पर देगा उसको ३ मन ५ सेर खांड १०० मन गन्ने के बजाय देंगे। यह इस तरह की बातें चल रही हैं कि मन ४५ सेर का है और कहीं कीमत की एवज में घटिया खांड दी जाती है। अगर वह बढ़िया खांड दे तो वह १८३ रु० की होती है और अब १२२ रु० की दी जा रही है। अफसोस है कि कोई सुनता नहीं है। सरकार तक को इसकी चेतावनी दी गई, लेकिन किसी ने सुना नहीं। आज पूरा ब्लेक मार्केट हो रहा है।

इसके बाद यह मैं जानता हूं कि गंगानगर, शहर जिसके लिए बीकानेर सरकार ने गंगानगर, रायसिंहनगर, करनपुर के लिए ४० लाख रुपये वाटर वर्क्स के लिए दिये थे, जो महाराजा सार्दूलसिंहजी ने अपने वक्त में मन्जूर किया

था, लेकिन आज वह ४० लाख रुपये की रकम पता नहीं कहां गई ? पता नहीं वह बजट में नजर नहीं आती है। वहां कोई वाटर वर्क्स का प्रबन्ध नहीं है, जो जब कि वहां बड़ी बड़ी धान की मंडियां हैं। जिन लोगों का रुपया बीकानेर सरकार से यहां आया वह कहां गया ?

इसके अलावा हम यह महसूस करते हैं कि उस इलाके के अन्दर जहां से कि अनाज इतनी बड़ी तादाद में मूव होता है, एक गांव से दूसरे गांव को एक गांव का अनाज जाता है मंडियों को, एक मंडी से दूसरी मंडी में जाता है, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं है। बजट में किसी सड़क का जिक्र नहीं किया गया है। उस इलाके के अन्दर जो देखते हैं एक गांव से दूसरे गांव जाने तक के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोगों के पास होने में फिसाद हो जात हैं। वहां खेतों में रास्ता नहीं होने के कारण आज वहां के लोगों को बड़े बड़े खर्च ब्रदाश्त करने पड़ते हैं; अनाज ले जाने के लिए। उस इलाके में लोगों का हाल यह है कि अनाज एक गांव से दूसरी मंडी में ले जाने के लिए १ ०फी मन तक देना पड़ता है। मैं यह जो आंकड़े दे रहा हुं बड़े रिजनेबल हैं, और एक बड़ी जिम्मेवारी से दे रहा हूं । मैं बतलाऊंगा कि १ रु० फी मन से ज्यादा तक र्चा बहुत सी जगह लग जाता है। इसके अलावा मेरे साथ बैठे हुए एक साथी ने बतलाया कि बीकानेर सरकार ने हमारे से उस वक्त जब कि गेहूं १ रु० मन बिकता था ३७॥ रु० फी मुरब्बे यानी १॥ रु० फी बीघे के हिसाब से वसूल किया था। यह रकम जो वसूल की गई थी और इस सख्ती के साथ वसूल की गई थी कि हम क्या अन्दाज लगायें । तो १॥ मन गेहूं फरोख्त करने से १॥ रु० फी बीघा के हिसाब से हमने दिया। आज गेहूं का भाव ११) १२) रु० मन के हिसाब से १॥ मन के १८ रु० होते हैं। यह १८ रु० हमने इसलिये दिये थे कि हमारे कस्बों में कलवर्ट बनाई जायगी, लेकिन आज इस बजट के अन्दर इसका कोई प्रोवीजन नहीं दिखाया गया है। हम यह नहीं देख पाये हैं कि उन पुलियों के रुपयों का क्या हुआ। हम यह नहीं समझ सके हैं कि वह किस हिसाब में दाखिल कर लिये गये। उन पुलियों के लिए जो हमारे रुपये जमा हुए थे और इसके लिए दिये थे और हमारी अमानत थे, उनकी पुलियें बनानी थी, उनका क्या हुआ। जो पुलियें बनी थी वह ऐसी बनी हैं कि उन पर किसान अपने गड्डे को गुजारना पसन्द नहीं करता है और नीचे से ही गुजारता है क्योंकि वह कमजोर हैं । वह समझता है कि ऊपर जाकर ड्डे में गिरने के बजाय नीचे से गुजारें तो अच्छा है। हम गउओं से सबसे बड़ी ममता करने वाले हैं, हम समझते हैं पर से गुजरने में गऊ के बछड़े की हालत क्या होगी। गड्डे ले जाने के वक्त हम देखते हैं कि हमारे बैलों की टांगे टूट जाती हैं, सैकड़ों गड्डे टट जाते हैं, और सैकड़ों ऊंटों की टांगे टूट जाती है, रास्ता नहीं होने के कारण, पलियां नहीं होने के कार ।

मैं चाहता हूं कि समय ज्यादा नहीं लिया जाय, लेकिन मैं ि र कु रिहेबिलिटेशन पर कहना चाहता हूं। मै देखता हूं कि रिहेबिलिटेशन के मुताल्लिक रकमें मन्जूर की गई हैं। इसके लिए भी बहुत से साथी आनरेबल मेम्बरों के ख्याल से इस बजट में बहुत सी रकमें आई हैं। मैं समझता हूं कि रिहेबिलिटेशन

के लिये जो तकावी मन्जूर की जाती है वह सही आदमी को नहीं मिल रही है। वह बड़े बड़े मालदार आदमियों को दिला दी जाती है। जितनी तकावी दी गई है उनकी जांच कराई जाय तो ३३ प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको कि वह तकावी दी गई है (हियर, हियर) इसके अलावा जहां वह तकावी दी गई है उनमें से बहुत से लोकल आदमी हैं; उनमें से ५, ७ फी सदी ऐसे हैं जो लोकल हैं, इनमें ५, १० फी सदी ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब में भी जमीन एलाट करा कर दूसरी दफा यहां ली हुई है। इसके अलावा कर्मचारियों के मिलने वाले, रिश्तेदार, या कोई रिश्वत के एजेन्ट हैं (हियर, हियर) तो मेरे कहने का यह मतलब है कि इस तरह से उस इलाके को नेग्लेक्ट कर दिया है। इस तरह से इस बजट में रुपये उस इलाके में नहीं डाले, उसको भूल जाना कोई सड़कें नहीं बनाना, वहां कोई मेडिकल के नये अरेन्जमेन्ट नहीं करना, वहां कोई डिग्री कालेज नहीं खोलना, मैं नहीं समझ सका कि किस तरह से इस बजट को वहां के रहने वाले साथी मन्जूर करके जायेंगे और वहां के लोगों को वो अपना कौनसा मुंह बतलायें। यह एक मामला है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं।

मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ खास तौर से अनाज पैदा करने के लिए जो स्कीमें बनाई जा रही हैं उस तरफ ध्यान दिलाऊंगा। उस इलाके में जहां का मैं बसने वाला हूं, हजारों बीघा जमीन जो कि गवर्नमेन्ट की है मिल सकती है, वह जो मुसलमानों की छोड़ी हुई है, लेकिन उस पर आज अधिकारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, कब्जा कर रखा है। (हियर, हियर,) मैं एक नहीं १०, २०, १००, २०० मिसालें पेश कर सकता हूं। मेरा ख्याल है कि मेरे एक मित्र ने प्रश्नों में इस सवाल को दिया है। ऐसी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं जहां टेम्परेरी कल्टिवेशन के नाम से तहसीलदार ने कब्जा कर रखा है, जहां टेम्परेरी कल्टिवेशन के नाम से जमीन पर नायब तहसीलदार ने कब्जा कर रखा है, जहां टेम्परेरी कल्टिवेशन की जमीन पर पटवारी ने कब्जा कर रखा है, कुछ हिस्सा दूसरे बड़े कर्मचारियों के हाथ में है (हियर, हियर,) मुसलमानों की छोड़ी हुई जमीन पर हम देखते हैं कि किस तरह से सरकारी कर्मचारियों ने कब्जा कर रखा है और उस जमीन में से जो रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) के नाम से एलाट है वह उन रिफ्यूजियों के नाम से, हैं जो कि राजस्थान में नहीं मिलेंगे, जो कि कभी राजस्थान में आये ही नहीं। इसके अलावा हम वहां देखते हैं, उस इलाके के अन्दर आजकल रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) को दी हुई जमीन केन्सिल की जा रही है, और वह किस तरह से केन्सल हो रही है मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि वहां जैसा कि मैंने बतलाया है ऐसी जमीनें भी हैं सरकारी कर्मचारियों के एजेन्टों की, रिश्तेदारों की, उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक जगह में एक आदमी की अपनी जमीन पंजाब में एलाट कराई हुई है और उसके ४ बच्चे हैं, २ बीकानेर कालेज में पढ़ रहे हैं, एक हिसार में मेट्रिक का इम्तिहान दे रहा है, चौथा अभी ८ साल का है। इनको ४, ५ मुरब्बा जमीन एलाट हुई है। ऐसी १००, २०० मिसालें दी जा सकती हैं। यहां पर यह भी बतला दूं कि जो शख्स वहां रिश्वत देना मुनासिब नहीं समझता है, जो वहां का

जायज रिफ्यूजी है, जो वहां बहुत दिनों से बैठा हुआ है, उनकी जमीनें केन्सल हो रही हैं। वह जमीनें केन्सिल भी इस तरह हो रही हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाता, कोई उनसे पूछ-ताछ नहीं की जाती, कोई वजह उनको नहीं कही जाती है, और यह कहा जाता है कि तुम नाजायज रिफ्यूजीज हो, तुम्हारी जमीन क्यों नहीं केन्सिल करदी जाय। दफ्तरों में बैठे बैठे ही फहरिस्तें बना ली जाती हैं, जिससे कि किसी आदमी का नाम नहीं लिया जा सके कि यह नाजायज रिफ्यूजी (शरणार्थी) है। दरख्वास्त देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, (शेम, शेम)

श्री चौधरी कुम्भाराम:—माननीय अध्यक्ष, आज सौभाग्य से बोलने के लिए अवसर मिला है। जिन मौकों का और जिन अवसरों का हम स्वप्न देखा करते थे वह आज प्रत्यक्ष हमारे सामने आये। मुझे खुशी है इस बात की कि हम राजस्थानी अपने राजस्थान के लिए, अपने देश और अपने समाज के लिए, आज उसके भाग्य का निर्णय करने के लिए, उसकी उन्नति के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हिसाब किताब की बातें सोचने, समझने और कुछ निर्णय करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। इस बजट के विषय में कई प्रकार की बातें सुनने को मिली है। बहुत से माननीय सदस्यों को आपत्ति है, बहुतसों को नाराजगी है और बहुतसों को उचित भी मालूम होता है। कुल मिला करके इस बजट के अन्दर राजगी और नाराजगी दोनों दिखाई देती है। कोई इसको प्रतिक्रियावादी कहते हैं और कोई इसको प्रगतिशील कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाय तो यह आय-व्यय का विवरण पत्र तो अंकों से भरा पड़ा है, न उसमें क्रिया है और न प्रतिक्रिया है यह तो मिस्क्रिया है जो कि अंकों से भरी हुई है। हम लोगों को यह देखना होगा कि हम जब यहां इकट्ठे हुए हैं क्या वाद विवाद के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों का लक्ष्य क्या है, हम लोग कुछ इरादे लेकर इस हाउस के अन्दर आए हैं, जनता जनार्दन के सामने हमने कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं, उनको विश्वास दिलाए हैं और जिनके बल पर ही हम यहां पहुंच पाये हैं। हम लोगों के कुछ कर्तव्य हैं, तो हम मिल जुलकर इस समस्या को इस तरह से हल करना चाहिए कि जिससे हमारा कदम आगे बढ़े, पीछे नहीं। राजस्थान में परम्पराएं हैं, इस देश का इतिहास हमको यह बतलाता है कि यहां के मरदाने आगे बढ़े हैं पीछे नहीं हटे हैं, इसलिये हमको अपनी परम्पराएं कायम रखनी चाहिए, और इन परम्पराओं का हम सबको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए।

गांवों के अन्दर आज रिश्वतखोरी चलती है, हरेक गांव में परेशानी और निराशा भरी पड़ी है। इन सब चीजों को हमें एक मत होकर कबूल कर लेना चाहिये, वह इसलिये कि हम बाहर का देखते हैं और भीतर का सुनते हैं। मेरी अपनी राय है कि अगर हमारा बजट और भी ज्यादा घाटे का बना दिया जाता और इस व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए और भी रकम बढ़ा दी जाय, करोड बढ़ा दी जाय, दो करोड़ बढ़ा दी जाय तो भी मैं समझता हूं कि जनता को राहत नहीं मिल सकती। इन तरीकों से, जिन तरीकों का परीक्षण हो रहा है, जनता पर प्रयोग किया जा रहा है, उस प्रयोग में जनता त्राहि २ कर रही

है। हम सबका कर्तव्य है कि हम इस बात को समझें कि इस पेड़ के अन्दर जिसका माली इमानदार है, जिसके अन्दर खाद और पानी बराबर दिया जा रहा है लेकिन वह फलता फूलता क्यों नहीं है, यह पौधा बढ़ता क्यों नहीं है। किसानों को देखते हैं तो वह निराश है, उसके मुंह पर कोई झलक नहीं है, जब वह गुलाम था उसका सीना उभरा हुआ था और इसके साथ मुकाबला करता था कि आजादी के बाद न जाने क्या होगा। जो व्यापारी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं और जो मध्यमवर्ग के लोग हैं आज सबके चेहरे मुरझाये हुए नजर आते हैं और ईमानदारी से पूछा जाय तो आज कोई भी आदमी इस बात से खुश नहीं है कि आज जिस स्थिति के अन्दर हम खड़े हुए हैं यह ठीक है। (हीयर हीयर) मैं समझता हूं कि इसमें कुछ लोगों की भूलें हैं या हम सब लोग इरादा करके आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें कुछ गल्तियां हैं उनकी वजह से शासन में ढिलाई है और इसी ढिलाई की वजह से ही बजट में घाटा चला आ रहा है। आज दफ्तरों में बैठकर चाहे कितने ही आइटम बजट के बढाते जायं इससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है । मैं आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहता हूं कि एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र में गिरने वाला हाथी हिमालय पार करके कलकत्ता की खाड़ी में पहुंच सकता है लेकिन जयपुर के सेक्रेट्रियेट में डाली हुई दरख्वास्त पटवारी के पास १२ महीने तक नहीं जा सकती है। मैं यह दोष अपनी सरकार का नहीं मानता हूं, मैं यह दोष सरकार को चलाने वालों का नहीं मानता हूं, मैं तो यह मानता हूं कि इस पेड़ में कीडा है जब तक उस कीड़े को नहीं निकाला जायगा, तब तक यह खाद और पानी देना बेकार है वह पेड़ फलना फूलना तो दूर रहा वह खत्म हो जायगा, उसकी जड़ में भी कीड़ा लग जायगा। मैंने देखा है कि शासन में पक्षपात का कार्य चलता है बहुत शिकायतें आती है कि सर्विसेज के ऊपर विश्वास नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है, उसके साथ न्याय नहीं है, मैं भी मानता हूं अध्यक्ष महोदय कि यह नाराजगी सब तरफ दिखाई दे रही है इसका कारण क्या है। गांवों में जब जाते हैं तो गांवों के लोग कहते हैं हमको सब तरफ से परेशानी है और थोडा आगे जाते हैं तो यही दूसरे लोग भी कहते हैं। हमारे में यह एक बीमारी रही है, हम सबने एक भूल की है, हमने एक गल्ती की है और वह गल्ती यह है कि घर का देवी देवडा, बाहर .... हमने और लोगों को प्रोत्साहन दिया है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया है जो यहां के जलवायु से नहीं पले हैं, वह इस देश की परम्पराएं नहीं जानते हैं। बाहर के गांवों में जाकर छाछ को छछरिया कहते हैं, जहां दूध और दही नहीं बिकता वहां पर छाछ का छछरिया कह कर पैसे से खरीदने की सोचते हैं उनसे क्या यह आशा करें कि वह इस देश की उन्नति कर देंगे, हरगिज नहीं कर सकते। मैं अपने माननीय मेम्बरों से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बात की ओर खास तौर से ध्यान दे कि जो छाछ को छछरिया कह कर पुकारते हैं वे यहां का प्रबन्ध नहीं कर सकते, जो यहां की परम्पराएं नहीं जानते उन्हें हमें, प्रोत्साहन नहीं देना है। जो इस मिट्टी का बना है, यहां फलाफूला है, यहां की सारी परिस्थिति और परम्पराओं को जानता है, समझता है, उन्हीं को हमें अपने यहां प्रोत्साहन देना

है, उन्हीं के हाथ में अपने शासन की बागडोर सौंपनी है। इसलिये मैं प्रधान मंत्रीजी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे अन्दर जो बीमारी है वह बीमारी हमें निकालनी ही चाहिए। बजट चाहे हमारा घटे, चाहे बढे, हमें इससे कोई नुक्सान नहीं होने वाला है, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमारा घाटा कितना ही चलता रहे। हम इसके लिये कर्ज ले सकते हैं, मगर यह कर्ज तभी ठीक हो सकता है जब कि इसका उचित उपयोग हो।

लेकिन पैसा खर्च करें और पैसे की बात हमारे अन्दर लगी रहती है तो हमारा देश ऊंचा नहीं उठ सकता। मैं आपसे अर्ज करूं कि लाखों के क्लेम चलते रहते हैं आमदनी आती रहती है; यदि रोकड़िया घर का ही आदमी है तो पाई पाई का हिसाब चलता रहता है। लेकिन पैसा खर्च करें और उससे कोई उचित उपयोग न हो तो हमारा देश ऊंचा नहीं उठ सकता, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सरकारों के लाखों करोड़ों के क्लेम चलते रहते हैं और आमदनी भी होती रहती है। रोकड़िया घर का रहना चाहिए हिसाब ठीक रहता रहेगा। हिसाब चलता ही नहीं रहेगा जनता का अधिकाधिक हित भी होता रहेगा इसलिये बजट व्यय इतने विवाद का विषय नहीं; हमें कुछ और देखना और सोचना है। आज आप बातें करते हैं कि लोग रिश्वत लेते हैं। मैं यह अर्ज करूं कि बिल पास करनेवालों को २५ प्रतिशत दिया जाता है तब जाकर बिल पास किये जाते हैं। इस तरह की जो हल्की मशीनरी है उसी की वजह से हमारी सरकार पर आक्षेप किये जाते हैं। उन्हें ठीक करना चाहिये। ऊपर के पुर्जों की मरम्मत करनी चाहिये या उन्हें निकाल देना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह है लॉ एन्ड ओर्डर का मसला। हमारे प्रान्त में लॉ एन्ड ओर्डर का मसला बहुत सख्त है। यह हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है। बजट में इसके लिये ३० लाख की रकम रखी गई है। मैं समझता हूं कि इस मद में अगर करोड रुपये भी बताये जाते तो मुझे ऐतराज नहीं होता, मैं खुश होता। अब तो पैसा दिल खोल कर दिया है। अब डाकू चोर नहीं आ सकेंगे। अब यह इन्तजाम सबल हाथों में है। लेकिन दरअसल में होता क्या है? ज्यों ज्यों पैसा बढ़ता है त्यों त्यों डकैतियें बढ़ती हैं, जनता बुरी तरह से डरती है। बीमारी का इलाज करते हैं तो बीमारी बढ़ती है। अगर इसी तरह चोरी डकैती बढ़ती गई तो देश का खजाना खाली हो जायगा और देश की प्रजा बरबाद हो जायेगी; न जहां की और न जनता की रक्षा कर सकेंगे। सभी यह महसूस करते हैं कि पैसा ज्यादा होने से हमारे देश की हालत सुधरेगी, लेकिन मैं कहूंगा कि देश की हालत सुधरेगी नहीं; उल्टी बिगड़ेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे थोड़ा समय और दें तो मैं मन की ऐतिहासिक बात कहना चाहता हूं। हमसे एक मूलभूत गलती हुई है लॉ एन्ड ओर्डर की समस्या पैसे से हल नहीं होने वाली है। केवल पैसा खर्च करने से आप कुछ नहीं कर सकते। यहां की परम्परा लोगों के चारित्र्य से बनी है। हमारे कई मित्रों को इस बात से आपत्ति है कि किसी वर्ग विशेष का नाम

नहीं लिया जाय। मैं वर्ग विशेष का नाम नहीं लेना चाहता पर मैं जानता हूं कि राजस्थान में जितने गेंग हैं उनके प्रमुख एक प्रकार के लोग हैं। इसका दोष गणमान्य लोगों को देते हैं। मैं मानता हूं कि हमने एक राजनैतिक भूल की है, जिसका नतीजा हम भोगते हैं। हमको हमारे देश का इतिहास बताता है, देश की परम्परायें बताती है कि अच्छी व्यवस्थाएं हृदय से सम्बन्ध रखती हैं, खाली पैसा बढ़ाने से नहीं रहने वाली है। राजा राम का राज्य आया उनके जमाने में अच्छी व्यवस्था थी। पर वे भी चले गये। इतिहास में फिर बताया गया है कि उनके बाद अशोक का राज्य आया जिसके गुण आज भी गाते हैं, उनका जिक्र आज भी हरेक की जबान पर है। वे भी आये और चले गये। वह काल भी हमारे सामने नहीं रहा। आगे का काल जिसको वैष्णव काल कहते हैं उसका भी आज तक गुण गान गाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि हमको उस काल से आज तक एक परम्परा मिलती है। इस देश के लोग जो अपने आप को राजपूत क्षत्रिय कहते हैं, उन्होंने अपनी परम्परा तीनों कालों में निभाई है। राम बन कर निभाई, बुद्ध बन कर निभाई अशोक बनकर निभाई। वह काल समाप्त हुआ तो जनता ने उनको पसंद नहीं किया। फिर मुसलमानों के समय में राणा प्रताप बन कर उन्होंने जनता और देश की रक्षा की। लेकिन आज वह काल निकल गया तो वे पुरानी परम्परा को भूल गये। आज लॉ एन्ड ओर्डर खतरे में पड़ गया है। आज जनता भगवान राम, बुद्ध, अशोक और प्रताप को याद करती है। आज न दिल्ली में अकबर है न राणा प्रताप की जरूरत है। यदि वे समझते हैं कि हम अराजकता फैलायेंगे तो मैं कहूंगा कि राजनैतिक भूल किसी को माफ नहीं कर सकती। हो सकता है कि राजस्थान में लॉ एन्ड ओर्डर खतरे में पड़ जाय, हो सकता है हमारा जीवन कठिन हो जाय, हमें घर छोड़ने को बाध्य होना पड़े; लेकिन मैं एक बात मानने को तैयार नहीं हूं। राम का राज्य वापिस नहीं आया, अशोक का राज्य वापिस नहीं आया, इसलिये हमारे जमींदारों और सामन्तों का राज्य भी वापिस नहीं आ सकता। हमारे देश के लोगों को चाहिये कि सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू के अनुगामी बनें और त्याग व तपस्या के साथ जिम्मेदारी को, नैतिक कर्तव्य को संभालें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिन्दगी में पहली बार बोलने को खड़ा हुआ हूं मुझे हाउस में पहली बार बोलने का मौका मिला है। मुझे कुछ और अधिक समय दीजिये।

माननीय अध्यक्ष:--बोलिये।

श्री कुम्भाराम चौधरी:--मैं निवेदन कर रहा था कि ला एन्ड ओर्डर का मामला केवल पैसे खर्च करने से ही कत्तई हल नहीं होगा। यह लोगों के हृदय की भावना से हल होगा। जिन लोगों का कर्तव्य रहा है और जो लोग पिछले तीन कालों से निभाते आये हैं, उन्हें आज भी निभाना चाहिये। राजनैतिक भूल आज तक माफ नहीं हुई है। चाहे जितने दुःख दें, प्रसन्न करें, एक बार फिर इतिहास की

नजीर उनको बतलानी चाहिये और ईमानदारी के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिये। जनता आह्वान कर रही है, उसका नेतृत्व ईमानदारी से करना चाहिये। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो चाहे जितनी पुलिस रखें चाहे जितना खर्चा करें कोई चीज बननेवाली नहीं है। हम लोगों पर बाहर के लोग आशा लगाये बैठे हैं। वे हमसे पूछते हैं कि उनका काम कब होगा। पहले हम कहते थे कि जब एसेम्बली बनेगी तब आपकी तकलीफें दूर करने के लिये कानून बनवाये जावेंगे।

जकात की दर हमारे यहां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ऊंठ बेचते हैं तो ३५ रु० ले लेते हैं, बछड़ा बेचते हैं तो १५ रु० लेलेते हैं। इतनी तो उसकी कीमत भी नहीं होती। लोहारू के मेले में ले जाकर १२ रु० में बछड़ा बेचते हैं तो भी हमें १५ रु० जकात के देने पड़ते हैं, जो किसानों को गांठ से निकाल कर देने पड़ते हैं। यदि वे नहीं देते है तो चोपानिया में नाम लिख दिया जाता है जो ११ साल तक चलता रहता है। इस तरह की हालत जकात की है इसमें संशोधन करना चाहिये।

इसलिये हम लोगों को इन चीजों के पीछे नहीं फिरना चाहिये। हमें इन से नफरत करनी चाहिये और जो ये मिलने वाली रकमें हैं उन्हें हमें छोड़ देनी चाहिये। राजस्थान में कहावत है: "रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जायं पर वचन न जाही"—उसी प्रकार किसी ने कहा है, सत मत छोड़ो ठाकरां सत छोड्यां पत जाय, सत के बांदी लक्ष्मी फेर मिलेगी आय"

ये चेरी है सत्ता के साथ रहती है। यदि हम अपने सिद्धान्तों पर चलेंगे तो लक्ष्मी लात मारने से भी हमारे पास से नहीं जावेगी। इसलिये हमें पैसे की तरफ नजर नहीं डालनी चाहिये। यदि हम पैसे की तरफ नजर डालेंगे तो हम मर जावेंगे। आप जानते हैं कि जैसे ही हम लक्ष्मी के पीछे भागेंगे वह हमसे दूर भागेगी और यदि हम उसका पीछा नहीं करेंगे तो वह हमारे पीछे पीछे भागती चली आवेगी; जिस प्रकार जब हम दौड़ते हैं तो छाया हमारे आगे आगे दौड़ती है और जब हम छाया को छोड़ना चाहते हैं तो वह हमारे पीछे पड़ी रहती है, वह हमें छोडना नहीं चाहती और न छोड़ती है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग पैसे के भ्रम में क्यों पड़े हुए हैं। मुझे अफशोस होता है जब हम क्षत्रियों और सेठों से "पैसा पैसा" की आवाज सुनते हैं। मुझे बडा दुख होता है इसके लिये मैं क्या कहूं। मैं यही कहूंगा कि शेर घास नहीं खाता है। इसी कारण से जंगल में जानवरों के लिये घास रहती है। यदि शेर ही घास खाने लग जावे तो फिर उस जंगल में जानवरों के लिये क्या मिलने वाला है। मैं समझता हूं कि कुछ नहीं मिल सकता। राजस्थान के राजा महाराजा आज प्रिवीपर्स के लिये हाथ पसारते हैं, जब हम यह देखते हैं और सुनते हैं तो हमारा हृदय कांप उठता है। वे क्षत्रिय नहीं जो भीख मांगते हों। हम उनको पराक्रमी नहीं कह सकते। पुराने जमाने में हम क्षत्रियों को पराक्रमी कहते थे, वे शूरवीर थे, जैसे महाराणा प्रताप, जिन्होंने जनता की सेवा व देश-सेवा के लिये सब कुछ अर्पण कर दिया। उनका घोडा चेटक,

जिसकी कि छतरी बनी हुई है वह भी एक शेर ही था। जागीरदार हमेशा पैसे की ओर ताकते रहे और यह राजपूतों का दुर्भाग्य है। हम बजट पर क्या रो रहे हैं हमें राजस्थान पर रोना होगा। राजस्थान के लोग राजनीतिज्ञ नहीं। वे केवल मात्र आपस में लड़ते रहे और दूसरे लोगों ने उनको आपस में लड़ाया और उससे किसानों की कबरें बनीं। इससे ज्यादा उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं।

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मुझे जो बोलने का समय मिला उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और अपने साथियों के सामने यह समस्या रखता हूं कि हमें इसके वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। बजट ठीक है। इसको पास हमें कर देना चाहिये। ठीक हैं। मैं कहूंगा कि जब दो शेर मिलते हैं तो आपस में आंखें लड़ती हैं, नजरें मिलती है और जब दो श्वान मिलते हैं तो आपस में लपालप होती है। जुबान की लपालपें होती हैं। हमको यहां जुबानों की लपालप नहीं करनी है। हमको सच्चे हृदय से इस देश को ऊंचा उठाना है और इसके लिये हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ सेवा हम कर सकें करें। फिर आप देखेंगे कि घाटा-बाटा क्या होता है। दिल्ली भी हमसे आशा करेगी जैसा कि परम्परा से करती आई है। हमारे यहां कहावत मशहूर है; वर्षा, बादल और दुश्मन, उत्तर से आते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि दिल्ली भी इस बात की आशा लगाए हुए है कि राजस्थान कब अपने मोर्चे को मजबूत बनाए। राजस्थान का मजबूत बनना दिल्ली के लिए एक सुदृढ़ दुर्ग का बनाना है। मैं यह कहूंगा कि हमें राजस्थान को एक सुदृढ दुर्ग बनाना है; टूटा हुआ दुर्ग नहीं बनाना है। टूटे हुए दुर्गों में शेर नहीं बोलेंगे। भेड़िये बोला करेंगे और बोला करते हैं।

मैं अपने भाषण को समाप्त करता हुआ यह प्रार्थना करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस सारे बजट का लेखा-जोखा जैसा भी है; चाहे अच्छा है; या बुरा है तो भी इसको पास कर दिया जाना चाहिये। इसके बुरे होने के कुछ कारण भी होते हैं, जिनको मैं जानता हूं। मैं जब इस बजट के आंकड़ों को देखता हूं तो कहीं कहीं मालूम होता है कि कई रोकड़ें गलत हैं। इसकी जो रोकड़ें टेढी-मेढी हैं उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हमारे जीवन से टेढ़ी-मेढी लकीरों का कोई सम्बन्ध नहीं। अगर हमारा मन शुद्ध है तो ये सब ठीक है। कहते हैं मन चंगा तो कठोतरी में गंगा। और अगर मन शुद्ध नहीं है तो गंगाजी में भी गंगा नहीं है। बजट आपका है और आपही के काम आने वाला है। बस इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय राजस्थानी, जय राजस्थान।

श्री बलवीर:--माननीय अध्यक्ष, राजस्थान की देशी रियासतों का एकीकरण हुआ और राजस्थान एक प्रान्त बना; यह तो मैं नहीं समझता कि कोई बेजा बात हुई। मगर मैं कहूंगा कि हमारे पक्ष के साथियों ने जैसे और प्रश्नों पर ऐतराज उठाया एग्रीकल्चर बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ उस समय कुछ ऐतराज नहीं उठाया। समझ में नहीं आता क्यों? जब "हां" पक्ष वाले सभी एक तरफ बोलते हैं, तो

"ना" पक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं निकलती। क्या एक आदमी के पीछे सब डर गये, क्या उसके पीछे चलते हैं; यह तो ठीक नहीं। एग्रिकल्चर टैक्स जो किसानों पर लगाया गया है उसके मायने यह होते हैं कि यह टैक्स ८५ प्रतिशत जनता पर लगाया गया है और १५ प्रतिशत दूसरे लोग हैं उनको छोड़ दिया गया है। होना तो यह चाहिये था कि १५ प्रतिशत लोगों पर नये कर लगाये जाते और ८५ प्रतिशत किसान जनता पर इस प्रकार का कुठाराघात नहीं किया जाता। राजस्थान के किसान भूखे हैं, नंगे हैं, उनके पास पैसा नहीं, रहने को मकान नहीं खाने के लिए पूरा धान नहीं। जो कुछ वे पैदा करते हैं वह उनके पास रहने नहीं दिया जाता। उनसे जबरदस्ती लेवी के रूप में लिया जाता है। किसान घास फूस के झोपड़ों में रहता है। वह लकड़ी और घास बेच कर अपना जीवन निर्वाह करता है। उसकी यह दशा होते हुए भी किसान को ही दबाया जाता है। मैं नहीं समझता कि इस तरह किसानों को दबाने वाली गवर्नमेन्ट कितने दिन तक चल सकती है? ऐसी सरकार का अनुकरण हमें नहीं करना है; जो प्रतिक्रियावादियों की सरकार हो; जो किसानों और गरीब मजदूरों का खून चूसती हो। हमारा मुल्क एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहां १०० में ८५ किसान पाये जाते हैं। कोई भी सरकार इस प्रकार के कर किसानों पर लाद कर चल नहीं सकती। यदि सरकार की करों के सम्बन्ध में यही नीति रही कि किसानों को राहत पहुंचाने के बजाय, रोजाना नये नये करों से दबाया जावे तो आगे आने वाली पीढ़ियां के लिये इस तरह की सरकार क्या हित कर सकेगी। आपको यह अच्छी तरह से मालूम ही है कि किसानों पर कितने भारी से भारी टैक्स हैं। किस प्रकार वह टैक्सों से दबा हुआ है। किसान पर सब तरह से टैक्स हैं, जैसे कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स आदि। आप देखेंगे कि एक किसान एक गाय के बछड़े को तीन साल तक पालता है और तब कहीं जा कर वह बैल होता है। यदि उसने उस बछड़े पर कम से कम ५० रुपये सालाना भी खर्च किये हों तो भी तीन साल में उसने १५० रुपये उस बछड़े पर खर्च किये हैं। यह तो कम से कम हिसाब से होता है। फिर भी जब वह बेचा जाता है तो उस पर १५ रूपये टैक्स के लिये जाते हैं। इस प्रकार के टैक्स कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में ही लगे हैं। बछड़ा जो पहले १० रुपये का था उसने उसको तीन साल तक पाला और बड़ा किया। क्या उस किसान ने कोई गलती की कि उस बछडे को उसने पाला? इसी प्रकार ऊंट, गाय, बैल, भैंस आदि के आने पर टैक्स, जाने पर टैक्स। समझ में नहीं आता कि यह टैक्स लेने का क्या तरीका है। एक १० रूपये के बछड़े का भी वही टैक्स और एक २००)—३००) रुपये के बैल के भी वही १५ रूपये। इसके अलावा जब किसान जमीन में कोई चीज बोता है तो वह जमीन का टैक्स देता ही है; फिर नये टैक्स चाहे वे किसी रूप में हों, किसी के नाम से हों नहीं लादे जाने चाहिये। समझ में नहीं आता कि जो किसान एक दफे अपनी जमीन का टैक्स दे देता है तो फिर उससे दुबारा टैक्स क्यों लिया जावे। तमाखू पर भी टैक्स किसान से लिया जाता है। यदि आप नशीली चीजों को बन्द करना चाहते हैं तो दूसरे तरीकों से बन्द कीजिये। किसानों को क्यों लूटा जाता है। उनका गला क्यों दबोचा जाता है।

आप सब लोगों को अच्छी तरह से विदित ही है कि शहरों में रहनेवालों के लिये स्कूलें, कॉलेजेज़ आदि का प्रबन्ध है। क्या आप लोगों ने कभी गांवों में जाकर देखा है कि वहां के लोगों की क्या हालत है? जो हमारे प्रान्त के किसान हैं, जो जमीन का पेट चीरते हैं और जमीन से अनाज पैदा करके सभी को देते हैं, उनके बच्चों के लिये पढाई का कोई प्रबन्ध है? आप देखेंगे कि वहां प्राइमरी स्कूलें तक भी नहीं मिलेंगी। जहां शहरों में आपको बाग--बगीचे आदि की भी सुविधाएं मिलती हैं समझ में नहीं आता, जो किसान दिन रात अपने खेत में सर्दी की ठंड में, गर्मी की लू में सूर्य की तेज धूप में व वर्षा में बरसते हुए पानी में, कुत्ते की मौत मरता है उसके लिये सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। उस पर उल्टे टैक्स लगाये जाते हैं। मैं नहीं समझता कि जब उसके लिये कोई सहूलियतें नहीं तो फिर उससे किस बात का टैक्स लिया जाता है। जहां शहरों में ५० रूपया ६० रूपया प्रति माह प्रति व्यक्ति पर खर्च किये जाते हैं वहां किसानों पर कुछ नहीं। यह नहीं हो सकता। यदि इसी प्रकार चीजें चलती रहीं तो क्या किसान और मजदूर इन चीजों को बरदाश्त करते रहेंगे और देखते रहेंगे? हम गरीबों से पैसा वसूल किया जाता है। १०००) और २०००) हजार रूपये मिनिस्टरों और दूसरे अफसरों पर माहवार खर्च किये जाते हैं। इसके अलावा दूसरे भी बहुत खर्च हैं, जिन पर बहुत सा रूपया खर्च किया जाता है। क्या किसान पर सरकार पांच रूपये माहवार प्रति व्यक्ति भी खर्च नहीं करती है? ऐसी असमानता क्यों? ऐसी असमानता ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी और न ऐसी असमानता किसी प्रान्त के लिये लाभदायक ही हो सकती है।

पुलिस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस में भी पिछले दो सालों से पक्षपात की नई बातें चल रही है और उसकी तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुलिस में बाहर से लोगों को बुला कर भरती कर लिया जाता है। जो लोग बाहर एस० आई० थे, सब-इन्सपेक्टर थे, उनको यहां ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त किया गया है और दो-दो ढाई-ढाई सौ रुपये वेतन के दिये गये हैं। इस प्रकार बड़ी बड़ी जगहों के लिए बाहर से लोग बुलाए गये हैं और यहां की जगहों के लिये और ट्रेनिंग के लिए आदमियों को लेने में भी उन्हें आदमियों को लिया गया है जिनकी सिफारिस किसी प्रकार से आई. जी. पी. साहब के पास पहुंची या कोई मिनिस्टरों के रिश्तेदार हैं। कहने का अर्थ यह है कि मिनिस्टरों के रिश्तेदारों और दूसरे सिफारिश वालों को तो जगह दे दी गई और जो लोग बगैर सिफारिश के थे और जो पुलिस विभाग में दो चार साल से ७० रूपया ८० रूपयों में काम कर रहे हैं उनकी तरक्की के लिये आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, यह बड़े दुख की बात है।

मैं नहीं समझता कि राजस्थान के लोग इस योग्य नहीं कि वे सब-इन्सपेक्टर बनाये जायं या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस बनाये जायं; जब कि हमारे यहां इनको भरती के लिए यू. पी. और गढ़वाल से लोगों को इन जगहों के लिए भरती

किया जाता है। मेरी राय में यहां के स्थानीय राजस्थानी लोग जो यहां के चाल-चलन बोल-चाल से वाकिफ हैं, उनसे कहीं ज्यादा पुलिस में अच्छा काम कर सकते हैं, बनिस्पत उन लोगों के जो यू. पी. और गढ़वाल से बुलाये जाते हैं। अभी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने राजस्थान के एक डाकू को पकड़ने के लिए ५ हजार रूपये इनाम की घोषणा की थी। उसको एक हैड कान्स्टेबल ने पकड़ा। उसके लिए मेरे ख्याल से अब तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ। उसका केस अन्डर कन्सिडरेशन पड़ा है। आज तक उसे हैड कान्स्टेबल से सब इन्स्पेक्टर का ओहदा नहीं दिया गया है। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं।

राजस्थान ने तकाबी देने की जो पोलिसी रखी है वह सिर्फ जरूरत मन्दों को न मिल कर उन लोगों को मिल रही है जो शहरों में बैठे हुए हैं, जिनका काम कभी खेती करने का नहीं रहा है। उन लोगों को ३ से ५ हजार रूपया तक मिल जाता है। एक किसान है, जिसके १००० बीघा जमीन है उसको तकाबी का रूपया नहीं मिलता। इस तरह से हमारी जनता का पैसा बरबाद किया जाता है और बजट में घाटा बताया जाता है और बजट में घाटा दिखलाया गया है।

राजस्थान सरकार को मालूम नहीं कि किस तरह इलेक्शन प्रोपेगेन्डा के लिए या अपनी दूसरी वजुहातों से सीकर जिले को उस समय अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था और यह कहा गया कि वहां लगान वसूल नहीं किया जायगा क्यों कि वहां अकाल है। अगर सहायता नहीं दी गई तो उनका रहना मुश्किल हो जायगा। इलेक्शन के बाद दमन नीति से वहां जबरदस्ती से लगान वसूल किया जा रहा है। उनको तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। में नहीं समझता कि जब सरकार ने अकाल पीड़ित घोषित कर दिया था तो फिर जबरदस्ती लगान वसूल क्यों किया जा रहा है? इस चीज में सरकार जिम्मेदार नहीं है तो और कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है? एक बात और है कि किसी के पास खेती की १०० बीघा जमीन है और कोई आदमी जाकर कह देता है कि यह मेरी जमीन है तो उस जमीन से जागीरदार और किसान दोनों को महरूम रख दिया जाता है और वह जमीन बिना खेती के पडी रहती है जब तक कि केस चलता है। यह किसी तीसरे के सुपुर्द कर दिया जाय तो भी अच्छा है। इसके लिये एस. डी. ओ. को अधिकार दे दिये जायं या इस काम के लिए कोई अफसर नियुक्त कर दिया जाय कि वह जमीन का फैसला करे। इससे जनता को बहुत आसानी हो सकती है। जो अड़ंगे खड़े कर दिये जाते हैं उनसे किसान बरबाद हो जाते हैं। इसी तरह का एक केस ह जिसको आज १० साल हो गये, उसका कुछ फैसला नहीं हुआ कस्टोडियन के यहां वह केस चल रहा है। वह किसान जिसकी जमीन है वह वहां जाता है तो कभी कस्टोडियन साहब नहीं पधारते हैं तो कभी कुछ इस तरह से उसका काम रह जाता है। आज वह किसान जिसकी १३६ बीघा जमीन है मारा मारा फिर रहा है। इस तरह की सरकार की पालिसी कितनी ठीक है इस सदन से निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष की मार्फत कि वह इसको देखें? जो काम किये जायं ठीक ढंग से होने चाहिये। जिससे जनता और सरकार दोनों का फायदा हो।

कर्नल श्री दिलीपसिंहः—माननीय अध्यक्ष, बहुत अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ता है कि जो बातें को मैंने राजप्रमुख के अभिभाषण पर कही थीं उन्हीं को मुझे फिर दोहराना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि आने वाले बजट में मेरी बातों के लिए कुछ गौर किया जायगा लेकिन बजट बनाते हुए उन बातों पर गौर नहीं किया गया। खास जिन भाइयों के लिए कहा था वे दो जाति के हैं; एक तो जाट और दूसरे राजपूत। उनके लिए मुझे कहना है कि जब राजस्थान की फौजों का इन्टिग्रेशन हुआ है जैसा कि आपको मालूम होगा उनमें से कितने बेरोजगार और बेकार बैठे हुए हैं, कितनी बुरी तरह पीसे जा रहे हैं। अखबार पढ़ने वालों को मालूम होगा कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मेरे मुह से आप सुनेगें तो मैं आपको बताऊंगा, कि सन् १९४२ में जब राजस्थान अलग अलग था तब इनकी संख्या ५० हजार थी। पहले के राजस्थान में वह संख्या ३५ हजार हो गई। उसके बाद ग्रेटर राजस्थान बना, जिसकी राजधानी जयपुर हुई तब वह २० हजार रह गई । इन्डियन आर्मी में जब उनका इन्टिग्रेशन हुआ सबको तोड़ कर सिर्फ ४ हजार ५०० करदी गई। इससे आपको मालूम होगा कि कितने आदमी बेकार और बेरोजगार होगये। बहुत से आर्डर निकले, आर्डिनेन्स निकले कि सिपाहियों को जमीनें मिलेंगी, उनको पुलिस में नौकरी दी जायगी लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें से एक को भी जमीन नहीं मिली । इसके अलावा बहुत से गवर्नमेंन्ट नोटिफिकेशन्स निकले। केनाल एरिया में जमीन दी जायगी, वहां फौजों को बसाया जायगा लेकिन आज तक किसी को नहीं बसाया गया। केनाल एरिया, गंगानगर, के एक सदस्य ने अभी फरमाया है कि वहां बहुत सी जमीन खाली पड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इधर हजारों सिपाही भूखों मर रहे हैं। उनको वहां लेजाकर क्यों नहीं बसाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने कुछ आंकड़े इकठ्ठे किये हैं। आज के दिन राजस्थान में १७ हजार सिपाही २५० अफसर और ४०० जे. सी. ओ एस. जिनको एक वक्त खाना खाने को नहीं मिलता बेकार बैठे हैं। अगर इसकी राजस्थान जिम्मेदवार नहीं तो और कौन जिम्मेदवार है। उनको क्यों न बसाया जाय ? उनको सरविस क्यों न दिलाई जाय ? क्या यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं। गजट में यह शाया हुआ था कि इनको पुलिस में लिया जायगा लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को लिया गया जो बुड्ढे थे, जिनको पेन्शन मिल रही थी; दुबारा लिया गया है उनको दो तरह से फायदा पहुंच रहा है। यह सब सिफारिशों की वजह से हो रहा है। आपको मैं तीन मिसालें देता हूं; सरकार उसकी जांच करे। अगर वह झूठ निकले तो मैं फांसी खाने के लिये तैयार हूं। दो जाट भाई और एक राजपूत ने जिनके पास खाने के लिये कुछ न होने कारण आत्महत्या करली है यह एक महीने पहले की बात है ।

अब मैं आपका मेडिकल की तरफ ध्यान दिलाता हूं । मेडिकल डिपार्टमेन्ट की जो सोचनीय दशा है उसे देखकर दुःख होता है । जिस डिविजन से मैं आया हूं उस डिविजन में बहुत सी डिस्पेन्सरियों में दवाइयां नहीं हैं। इधर उधर सुनने से पता लगता है कि वहां १६-१७ हजार रुपये की दवाइयां रखी गईं किन्तु वह खरीदी नहीं गई और वह रुपया लेप्स होगया। उसका नतीजा यह निकलता है कि वहां टिन्चरआइडिन व २,३ कुनेन की गोलियां आदि के अलावा

कोई दवाई नहीं मिलती है । मेरे डिविजन में डाक्टर साहब भी ऐसे रखें हैं जो बिल्कुल ही गये गुजरे हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है । किसी सिफारिश से हो गये होंगे, किसी मिनिस्टर साहब या और किसी की तरफ से; वे कुछ नहीं जानते हैं। अगूंठा टाइप दस्तखत करते हैं । वह डाक्टर साहब एक हास्पिटल के इन्चार्ज हैं ।

इसके अलावा राजस्थान में एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी होती है जिसको अंग्रेजी में गिनी वर्म और हमारे यहां नेरू या बाला कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए राजस्थान सरकार ने ३, ४ वर्षों में उसको मिटाने की कोशिश की या नहीं । राजस्थान की सेन्सस रिपोर्ट ली जाय तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान की एप्रोक्सिमेट (लगभग) आबादी १ करोड़ ५३ लाख है उसके अन्दर गिनी वर्म (नेरू), यह आंकड़े में अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अस्पताल में जो एग्जिबिशन हो रही है उनसे मुझे मालूम हुआ है, किसी ने प्राइवेट तौर पर नहीं बताये हैं, से बीमार आदमी ३२ लाख होते हैं। उदयपुर डिवीजन में केलवा एक गांव हैं जहां की आबादी ३००८ है । उस गांव में गिनी वर्म के बीमार १०७९ आदमी हैं, जिसके अन्दर ८४ पेशेन्टस (बीमार) तो ऐसे हैं जिनके हाथ पैर बिल्कुल गल चुके हैं वे काम नहीं कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने अब तक क्या किया है? मेडिकल विभाग में जैसे अन्य स्पेशलिस्ट (विशेषज्ञ) होते हैं, कोई मेडिसिनमें स्पेशलिस्ट (विशेषज्ञ) होता है, कोई आइज (आंखों) के स्पेशलिस्ट (विशेषज्ञ): होता है, तो क्या राजस्थान में ऐसा आदमी नहीं बुलाया जा सकता है जो गिनी वर्म में स्पेशलिस्ट हो, जिससे गिनी वर्म को अच्छा करने का काम हाथ में लिया जाय। ऐसा आदमी तैयार क्यों नहीं किया गया, और अगर किया गया है तो उसका क्या हुआ, यह मैं जानना चाहता हूं हाउस की जानकारी के वास्ते।

मैंने २, ४ व्यक्तियों से सुना कि उदयपुर का अस्पताल तो एक लायब्लिटी (भार स्वरूप) है । अगर उदयपुर लायब्लिटी (भार स्वरूप) है तो उसकी यह दशा जब से जयपुर राजस्थान की राजधानी बना है तब से हुई है न कि पहले से। उदयपुर के अस्पाल में कोई इन्तजाम नहीं है। बेचारे मरीज बरान्डे में पड़े हुए हैं। उदयपुर जब अलग रियासत थी उनके बजट में इस अस्पताल के लिए जितना प्रोवीजन होता था वह अगर इस बजट में गवर्नमेन्ट शायद पूरा का पूरा रखती तो यह उनकी कामयाबी हो सकती थी, मगर उदयपुर अस्पताल का इस बजट में कहीं नाम भी नहीं है।

इसके अलावा रोड्स की भी कोई तवज्जुह नहीं है । एक खास इम्पार्टेंट रोड है जो उदयपुर स्टेशन से सूरजपोल को जाती है। इस रोड पर करीब २० फुट का एक ब्रिज है जो २, ३ वर्ष पहले बाढ आई थी तब टूट गया था। वह अब तक नहीं बना है और सारा ट्राफिक अहाडा रोड पर होकर जाता है। उस ब्रिज के लिए कहा जाता है कि केवल तांगे ही निकाले जा सकते हैं। वह भी ऐसा बना है कि अगर हामला (गर्भवती) स्त्री तांगे में बैठकर

निकले तो उसको बड़ी तकलीफ हो। अगर उस २० फुट टुकडे की मरम्मत करदी जाय तो २, २॥ मील का चक्कर नहीं काटना पड़े। इस सड़क को चालू करने के लिए कहा गया तो बताया गया कि उस सड़क पर पुराने महाराजाओं की छतरियां बनी हुई हैं। वे हिस्टॅारिकल (ऐतिहासिक) जगह हैं। बड़े बड़े आदमी जो आते हैं उन लोगों के दिखने के लिए यह सडक बनी हुई है। यह भी एक ताज्जुब की बात है।

इसके अलावा, इरिगेशन (सिंचाई) के सम्बन्ध में मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरे डिविजन के अन्दर फतेह सागर नाम की झील है; उसमें से नहरें निकलती हैं। उनसे बहुत सिंचाई होती है। उसका २ मील का एन्क्रोचमेन्ट है; जहां पर नदी को बांधा गया है। वहां से पानी इसमें लाया जाता है। वहां ३ साल पहले जब बाढ़ आई थी तो बान्ध के किवाड़ खोले गये थे किन्तु वह मुड़ गये थे इसलिये बन्द नहीं हो सकते हैं। वह अब तक यों ही पड़े हुए हैं। १०–१५ रुपये खर्च करने की बात है। इससे फतह सागर की पिलाई बन्द होगई है, गेहूं की फसल मारी गई है। यदि एक पिलाई भी हो जाती तो वह ठीक हो जाते।

इसके अलावा मैं अर्ज करूं कि गवर्नमेन्ट ने जो बड़ी मेहनत करके गेहूं के ऐसे सीड्ज़ भेज जिसमें रोली नहीं लगती है। लास्ट इयर (गत वर्ष) से पेन्शन होने के बाद से मैं खेती करने लग गया हूं। तो सीड्ज़ लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेन्ट का कोई हुक्म अभी जयपुर से नहीं आया है। वह हुक्म आते आते महीनों हो गये और मौसम निकल गया। इन सीड्स का क्या हुआ? आयन्दा साल तक हुक्म आया कि इन सीड्ज़ को मंडी में बेच दिया जाय, मगर फिर यहां से लिखा गया है कि इन सीड्ज़ में प्वाइजन लगा हुआ है; अगर लोग खायेंगे तो मर जायेंगे। इस तरह से उनको जो सीड्स मिले वह यों ही खराब हो गये। इस हालत को देखते हैं तो मालूम होता है कि कितनी सोचनीय स्थिति है; एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट की।

कल एक सरदार ने इल्लिगल डिस्टिलेशन के बारे में यहां फरमाया, जब कि एक माननीय सदस्य डिस्टिलेशन के विषय में बतला रहे थे, कि पूर्व वक्ता तो एक्सपर्ट हो गए हैं। मैं उन, एक्सपर्ट की बात कहने वालों के लिए, कहता हूं कि वह स्वयं शराब नहीं पीते हैं। लेकिन उदयपुर डिविजन की बात तो मैं कह सकता हूं कि वहां जो लोग शराब नहीं पीते हैं, अच्छे अच्छे लोग, नीचे मकानों के अन्दर सेलस में इल्लिगल डिस्टिलेशन करते हैं। अगर किसी को इससे बुरा लगा हो तो माफ करें।

श्री मानसिंह:- (जमुआ रामगढ)—माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बजट के बारे में इस हाउस के सामने बहुत कुछ कहना है। मेरा तो इरादा यहां तक था कि आप लोगों के सामने पेरेलल बजट रखता, जिसमें यह दिखाया जाता कि इस खर्चे को किस तरह से कम किया जा सकता है, कहां से एडजस्टमेन्ट करके किस तरह से सही ढंग से खर्च किया जा सकता है, कहां से खर्चे की कमी को पूरा किया जा सकता है, ताकि यह घाटे का बजट सिर्फ पूरा ही नहीं किया जा सके, बल्कि इस बजट को

बंचत का बनाया जा सके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज जब कि जनतंत्र का पूरा युग आ गया है तो भी हमारे कुछ साथी अपनी पुरानी हिटलर शाही नीति को छोड़ना नहीं चाहते। वह बजट को हम लोगों के सामने ऐसे समय में रखते हैं जब कि हम उस पर सोच विचार नहीं कर सकते हैं और इसमें जल्दबाजी करनी पड़ती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यह कहता हूं कि ऐसी बात जो है देखने में छोटी २ प्रतीत होती है, लेकिन वह हमारी अवहेलना करने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करती।

अब इस थोड़े से समय में भागते दौड़ते एक बजट जैसी अहम चीज को देखा है। तो मैंने इसको जैसा देखा है मैं अर्ज करूं कि मुझको दुख इस बात का है कि अगर यह बजट हमारे पक्ष से पेश किया हुआ होता तो किसी हद तक वाजिब माना जा सकता था, लेकिन जिस तरफ से यह बजट पेश किया जा रहा है, उस पक्ष को देखा जाय तो इस बजट को देख कर मेरा कलेजा हिल उठता है। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मुझसे कहा नहीं जाता। इस बजट में जो रेवेन्यू की सबसे बड़ी बड़ी मदें हैं उनमें जो दूसरे नम्बर या तीसरे नम्बर की मद है वह है आबकारी की। इस बजट में आबकारी से २,९०,००,००० रुपये करीब की आमदनी है। अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं अपने साथियों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह बजट जब हम खोलते हैं तो हम यह समझते हैं कि हमारे पूज्य महात्माजी, जिनको दोनों पक्ष के लोग बहुत उच्च श्रेणी का आदमी मानते हैं, के सिद्धान्तों की इस बजट में हत्या करदी गई है (हियर हियर,) मैं चाहता था कि राजस्थान का पहला बजट मेरे माननीय दोस्त, आनरेबल वित्त मंत्रीजी ने जो पेश किया है उसमें कम्पलीट प्रोवीजन (पूर्ण व्यवस्था) होना चाहिए था। (करतल ध्वनि) मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे पक्ष के लीडर ने यह कहा था कि शराब की बोतलों पर टैक्स नहीं बढाया जाय तो उसका यह मतलब लगाया जाता है कि हम शराबखोरी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा देने से उसका बोझा गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है क्योंकि गरीब लोग ही ज्यादा शराब पीते हैं। आपको यह मालूम होगा कि आपके टैक्स बढ़ा देने से शराबखोरी बन्द नहीं होगी। इससे शराबखोरी तो बन्द होगी ही नहीं लेकिन गरीब जो लोग हैं उन पर बोझ ज्यादा पड़ेगा। शराब से जो उनके घर नष्ट हो रहे हैं इससे और भी ज्यादा नष्ट हो जायेंगे। इसलिये शराबखोरी बन्द करने का एक ही तरीका है और वह यह कि जल्दी से जल्दी राजस्थान में कम्प्लीट प्रोहिबीशन (Complete Prohibition) होना चाहिए। (हियर, हियर)।

शराबबन्दी का आन्दोलन बम्बई में चल रहा है। इस बात के लिए हमारे माननीय मित्र श्री मुरारजी देसाई बधाई के पात्र है। मैं जानता हूं कि शराब-बन्दी के कारण ही वह चुनाव में हारे भी थे। लेकिन उन्होंने जिस निडरता का परिचय देकर शराब बन्दी को बम्बई में कायम रखा है उसी तरह से हमारे आनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर से मैं यह उम्मीद करता था कि वे आयन्दा

५ वर्ष के बाद आने वाले चुनावों का ध्यान न रख कर हमारे सामने बजट जो लाया गया है उसमें शराब बन्दी उसका एक मुख्य अंग होता।(करतल ध्वनि)

हमें यह कहा जा सकता है कि शराब बन्दी कर देने से ३ करोड़ का घाटा लगेगा तो इस घाटे को पूरा कैसे कर सकते है? अगर आप महात्मा गांधी के सच्चे चेले हैं, तो अध्यक्षजी, मैं आपके जरिए, सब भाइयों को बताना चाहता हूं कि मैं भी उनके शिष्यों में से हूं। यह कहना कि उधर बैठने वाले ही महात्मा गांधी को मानते हैं और इधर वाले बिल्कुल नहीं मानते तो यह बिल्कुल गलत है। मैं यह जानता हूं कि सफेद चोला पहनने वाले महात्मा जी के चेले ऐसे मिलेंगे जो शराब पीते हैं, भ्रष्टाचार करते है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने आज तक मेरी जिन्दगी में शराब न तो कभी पी हैं, और न सिगरेट पी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम भी महात्माजी के चेले कहलाने के उतने ही अधिकारी हैं जितने कि उस तरफ सफेद खादी पहनने वाले अपने आपको कह सकते हैं। मुझे दुःख होता है कि इस बजट में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो महात्माजी के सिद्धान्तों पर चलती हो।

जब मैं महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलता हू तो दूसरी बात मेरे दिमाग में यह आती है कि यह घाटा तो एक ही कलम में पूरा हो सकता था। वह इस तरह होता कि आप यह निश्चित कर देते कि हम अपनी सरकार में ५००) रुपये से ज्यादा किसी नौकर को नहीं देंगे। ऐसा कर देने से एक ही बार में यह घाटा पूरा हो जाता। यह तो एक सीधी सी बात थी लेकिन मुझे खेद है कि यह चीज भी नहीं की गई। इसलिये माननीय वित्त मंत्रीजी से, आपके जरिए, अध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान देकर और जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था कायम करें जिससे इस राजस्थान में शराब बन्द हो (हियर हियर) इसके बारे में कल मेरे एक दोस्त ने शराब निकालने का तरीका बताया था। इस पर कुछ मेरे मित्रों ने आक्षेप किया था कि आप तो इस कार्य में दक्ष हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज घर २ में शराब बनती है। यह कितनी लज्जा की बात है! इस बात को सुनकर आपका सिर लज्जा से नीचा होना चाहिये न कि आप यह कहें कि आप इस काम में दक्ष हैं। तो यह पहली चीज इस बजट के बारे में हुई।

अध्यक्षजी, मुझे इस हाउस के सामने इस बजट के बारे में कुछ अजनबी बातें निवेदन करनी हैं क्योंकि मेरा दृष्टिकोण जो है वह शायद मेरे भाइयों से कुछ अलग है। तो इसलिये वह बातें बाद में कहूंगा। मुझे जो एक बड़ा दुःख हुआ वह पहले निवेदन कर देना चाहता हूं। मेरे पहले मेरे एक आनरेबल मेम्बर ने थोड़ी देर पहले एक बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। अध्यक्षजी, मैंने जब उस भाषण को सुना तो मैंने यह देखा कि दुनिया में कहने में ओर करने में कितना अन्तर होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे लायक दोस्त फ्रोम चूरू ने यह कहा कि हमें राजस्थान में ऊंची २ परम्पराएं कायम करनी है, वह कितना अच्छा सुझाव है अध्यक्षजी!

(इस समय १०–५७ मिनिट पर उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया)

किसी वर्ग विशेष की ओर संकेत करके और कई प्रकार की शिक्षा दी गई। हम पर शंका भी प्रगट की गई कि हम किसी खास काम में लगे हुए हैं यह साफ कह देना चाहिये कि हम पर यह शंका प्रकट की गई कि हम लोग डकैतियों को प्रोत्साहन देते हैं और राजस्थान में जो डाके हो रहे हैं उनमें प्रमुख हाथ हमारा है।

*   *   *   *

माननीय उपाध्यक्ष:—आपको इस बजट के विषय में कुछ कहना हो तो कहिये।

श्री मानसिंह:--अध्यक्ष महोदय, मुझे आज ऐसे ओजस्वी भाषण के लिये जिसमें ऐसी परम्पराओं की चर्चा की गई थी दुःख हुआ; इसलिये मैंने अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर दिए।

अब बजट की तरफ हम देखते हैं तो अध्यक्षजी में आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस हाउस में हम पहले पहल जनता के नुमाइन्दों की हैसियत से आए हैं और हमारे सामने ऐसा बजट लाकर रख दिया जाता है जिसमें एक करोड़ के लगभग का घाटा है। लेकिन फिर भी में हमारे ऑनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं। और उन्हें धन्यवाद का पात्र समझता हूं। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आज से तीन वर्ष पहले जब राजस्थान बना था तब हमारे खजाने में हमारे पास १७ करोड़ रुपयों की बचत थी जो अब सब समाप्त करदी गई है। राजस्थान रियासत को १७ करोड़ रुपये भिन्न भिन्न रियासतों ने संभलाये थे। आज उन रुपयों का बिल्कुल सफाया हो चुका है। इसलिये यदि यह कहा जाय कि पिछले तीन वर्षों की सरकारों ने पांच पांच करोड़ रुपये सालाना का घाटा राजस्थान को दिया था तो हमारे यहां आने से वित्त मंत्री महोदय ने केवल ९३ लाख का घाटा दिया है। पहले वालों के मुकाबले में हमारे नये वित्त मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हो ही सकते हैं। मैं आपको बतलाऊंगा कि कुछ खास बातें हुई हैं जिनसे सारे रुपयों का सफाया कर दिया गया है।

मैं निवेदन करूंगा कि बजट में शिक्षा पर ढाई करोड़ का खर्चा दिखलाया गया है। मैं मानता हूं कि शिक्षा में ढाई करोड़ तो क्या राजस्थान में पांच करोड़ रुपये भी खर्च किये जावें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारा क्रिटिसिज्म कन्सट्रक्टिव होना चाहिये। ढाई करोड़ रुपया रखना वाजिब है लेकिन खर्च करने का तरीका बिल्कुल गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे जयपुर रियासत

****Expunged as ordered by the Chair.

के तीन चार साल के बजट देखने का मौका मिला है। उस समय कहा जाता था कि हम बजट में क्रान्ति चाहते हैं और बजट का पुराना तरीका बदलना चाहते हैं। इस सदन के सदस्य भी यही बात कहते हैं। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह बजट वही पुराना शहरियों का बजट है। इस में बाहर गांव के निवासियों के लिये कुछ भी नहीं है। मैं तो शिक्षा के लिये जो ढाई करोड़ की रकम है इसे वाजिब तभी कह सकता हूं जब कि उसमें से बहुत बड़ी रकम कम से कम ९० प्रतिशत रकम आबादी के हिसाब से गांवों में खर्च की जायगी। राजस्थान में आज सेन्ट्रलाइजेशन हो रहा है। शहरों में ज्यादा खर्च हो रहा है, गांव वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपके जरिये, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पैसा ध्यान रख कर खर्च किया जाय, गांवों में ज्यादा खर्च हों और शहरों में कम खर्च हो।

दूसरी बात मैं मेडिकल के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इसके बारे में ज्यादा कहूं—इससे पहले ऐसी बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जो हमारे देश के लिये शर्म की चीज है। जयपुर में जो जनाना अस्पताल है उसमें हमारे यहां की स्त्रियां जाकर इलाज कराती हैं और वे जब बच्चे पैदा होने का समय होता है तब भी वहीं जाती हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय उन लज्जाशील औरतों के पास मेडिकल कॉलेज के १० या १२ की संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहते हैं (शेम शेम) विपक्षी यह दलील देंगे कि ये विद्यार्थी यदि उस समय मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर मेटर्निटी का काम वे कैसे सीख सकेंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, यदि आपको मेटर्निटी का काम सिखाना है तो जिस तरह इन्दौर मेडिकल कॉलेज के लड़कों को मेटर्निटी का काम सिखाने के लिये मद्रास की तरफ भेजा जाता है उसी तरह यहां भी इन्तजाम करने की कृपा करें। जयपुर की लज्जाशील स्त्रियों के लिये ऐसा काम न करें।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-क्या माननीय सदस्य मद्रास के ऊपर कुछ रिफ्लक्शन डाल रहे हैं।

श्री मानसिंह:-मद्रास में ऐसा कोर्स है। रिफ्लेक्शन की कोई बात नहीं है। वहां पर इस काम के लिये स्पेशल प्रबन्ध किया हुआ है।

मुझे २० मिनिट बोलने का माननीय स्पीकर महोदय से आदेश मिला है

इसलिये मैं फैक्ट्स धीरे धीरे रख रहा था नहीं तो रेलगाड़ी चला देता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस हाउस में यह नम्र निवेदन करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष:-तीन मिनिट और आपको बोलने के लिये दिये जाते हैं।

श्री मानसिंह:-तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूरी आशा करते हुए नम्र निवेदन और मेरे मित्र जो उस ओर बैठे हैं उन्हें मैं आह्वान करूंगा कि वे जयपुर के जनाने

अस्पताल में मेडिकल कालेज के लड़कों को भिजवाना शीघ्र बन्द करदें। जयपुर की स्त्रियें लज्जाशील हैं। वे इतनी प्रगतिशील नहीं कि ऐसी बात को सहन करलें। ये मैं जयपुर की जनता के सच्चे उद्गार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल के बारे में और यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेडिकल के सम्बन्ध में मुझे बाहर का अनुभव है। मैं ज्यादा-तर शहर में न रह कर देहात में रहता हू इसलिये मैं देहात के आदमियों को जानता हूं। बाहर के अस्पताल के डाक्टरों को २००) रुपया या २५०) रुपया तनख्वाह दी जाती है। कम्पाउन्डर आदि सब को मिला कर ५००० रुपया माहवार का खर्च आता है; लेकिन दवाइयों का बजट किसी अस्पताल में ८०० रुपयों का है तो किसी में ज्यादा से ज्यादा १५०० रुपयों का। आप किसी भी अस्पताल को देखिये उसमें यह पायेंगे कि कर्मचारियों का वेतन दवाइयों के खर्च से ज्यादा आता है। जब दवाइयें ही नहीं है तो इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहिये। जो कुछ पैसा है। वह खर्च किया जाय पर यह खर्च दवाइयों पर अधिक होने चाहिये और अस्पतालों के स्टाफ पर कम खर्च होना चाहिये। मैडिकल के बारे में मेरे दो कांक्रीट सजेशन्स (सम्मतियां) हैं। मैं उम्मेद करूंगा कि इस बात का आश्वासन हाउस को दें कि जयपुर के जनाना अस्पताल में मेडिकल कालेज के लडकों का जाना बन्द किया जाय और देहातों में अस्पतालों के स्टाफ के वेतन पर ज्यादा खर्च न करके दवाइयों पर अधिक खर्च किया जाय। मिनिस्टर साहब जनता के सामने यह आदेश तो रखें कि हम दवाइयों में ज्यादा खर्च करते हैं और स्टाफ पर कम।

यह तो हुआ मेडिकल विभाग के बारे में। अब मैं आगे एग्रिकल्चर पर अर्ज करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि मैं एक किसान हूं। जागीरदार होते हुए भी मैं किसान हू। मैं हल और बैलों से खेती करता हूं और ट्रेक्टरों से भी खेती करता हूं। खेती के बारे में गूढ़ से गूढ़ रहस्य को म जानता हूं। इसी अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हू कि आपका एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट बिल्कुल खोखला डिपार्टमेन्ट है। इसकी यह हालत है कि जब फसल बोने का समय आता है उस समय उनके पास बीज नहीं मिलते हैं और जब अनाज उगने लगता है तो उस समय परवाना आता है कि बीज तैयार पड़ा है; लेजाइये।

तो मैं आपसे व आपकी मारफत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात की तरफ ध्यान दें और नोट करलें कि जो बात मैंने बताई है अगर सच्च न हों तो मेरे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं। मैं खुद इसका भुक्त भोगी हूं। मुझे कहा गया कि बीज अभी नहीं दिये जावेंगे। जब बोने का वक्त होता है तो नहीं दिये जाते हैं और बाद में जब उनके बड़ा होने का समय होता है तो दिये जाते हैं तो फिर वे किस काम के? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि आमेर तहसील में काकड़े बोने के लिये लिये गये। उस समय अच्छे काकड़े होने का हमको आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि इसमें बहुत अधिक काकड़े पैदा होंगे। मगर जब उन्हीं काकड़ों को बोया गया तो बहुत कम काकड़े निकले और जितना बोया गया

था उसका कुल २० प्रतिशत या २५ प्रतिशत काकड़े उगे; बाकी सब बेकार गये। इस प्रकार से काश्तकारों को एग्रीकल्चर से बीज लेने से फायदे के बजाय नुकसान हुआ। तो मैं यह कहूंगा कि एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट को बन्द तो नहीं किया जाय; मगर इस विभाग का रीओर्गेनाइजेशन जरूर किया जावे। मैं यह नहीं कहूंगा कि इस पर पैसा खर्च नहीं किया जाए, मगर मैं यह कहूंगा कि जो कुछ खर्च किया जाए वाजिब तौर से जनता के काम आए। इस विभाग के अफसर कोई पंजाब के हैं, कोई यू० पी० के हैं और कोई सी० पी० के हैं। वे हमारे यहां, हमारे प्रान्त की प्रकृतिक हालत को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में काकड़े दो महिने बाद बोये जाते होंगे मगर राजस्थान में तो जल्दी ही बोये जाते हैं। इसलिये इस विभाग में राजस्थानी को तरजीह दी जानी चाहिये और उनको हर तरह से एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट की सेवा करने का मौका दिया जावे। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम हुआ है कि ऐसे व्यक्ति हमारे यहां मौजूद हैं जिनको हमारी पुरानी रियासतों ने यूरोप, अमरिका या हिन्दुस्तान के किसी कोने में स्कोलरशिप देकर अध्ययन करने के लिये भेजा। उन्होंने अपना वहां पर नाम कमाया, अच्छी डिग्री हासिल की लेकिन दुःख का विषय है कि जब वे इस प्रकार की उच्च शिक्षा लेकर बाहर से लौटे तो हम उनके लिये ऐसे साबित हुए कि हम उनको जगह नहीं दे सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने उन व्यक्तियों को भी जिनके लिये हमने अपना पैसा खर्च किया और बाहर भेजा, जब वे बाहर से शिक्षा प्राप्त करके आये तो उनको नहीं ले सके। बाहर से कुछ मन चाहे व्यक्तियों को बुला कर नौकर कर लिया। मेरे पास इसकी मिसालें मौजूद हैं और अगर जनतन्त्र की कद्र करने वाले जिम्मेदार महानुभाव यदि इसके सम्बन्ध में पूछेंगे तो मैं खुशी के साथ आपके सामने रखूंगा और पूरा सहयोग दूंगा। एग्रिकल्चर के बारे में जो ७ हजार रुपया शिक्षा के लिये रखा गया है उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे पुराने शिक्षा प्राप्त आदमियों को ही हम जगह नहीं दे सकते हैं तो इस बजट में फिर यहां ७ हजार का मद क्यों कायम किया गया है। हमारे यहां ट्रेन्ड आदमी मौजूद हैं और मुझे यह भी मालूम है कि उन लोगों से सरकार ने बौन्ड भी ले रखे हैं कि ५ साल तक कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरी नहीं कर सकोगे। वे बाहर भी नहीं जा सकते हैं और न राजस्थान सरकार उनको नौकरी देती है। उन आदमियों को आज बम्बई, कलकत्ता आदि दूसरे शहरों में जगह मिल सकती है और उनकी कदर हो सकती है और जितना रुपया उनको राजस्थान सरकार देगी उससे दुगुना तिगुना मिल सकता है। तो फिर उनके लिए प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता।

अब मैं आपसे पुलिस पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में अर्ज करूं। इसके बारे में, यह कहा जा रहा है कि लॉ एन्ड ओर्डर कायम नहीं हो रहा है। इसके बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि यह सिचुएशन क्यों है? इसके लिये कौन दोषी हैं?

माननीय उपाध्यक्ष ने समय खत्म होने की सूचना दी और दो मिनट और दिये।

श्री मानसिंह:--किस तरह खराबी हुई, क्या वस्तु स्थिति है यह आपको सुनाऊं। लॉ एन्ड ओर्डर का यह हाल है और जिसको सुधारने के लिये राजस्थान बजट में आंकड़े हैं कि चोरियें कम हुई हैं मगर आप कहीं भी चले जावेंगे तो आपको मालूम होगा कि सब जगह पुलिस की अव्यवस्था ही है। यह सब पुलिस की अव्यवस्था के कारण हो रहा है। कोई भी मुकद्मा है, कभी भी बिना रिश्वत लिये अधिकारी उसकी तहकीकात नहीं करते। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। जिसके पास पैसा होता है उसके लिये इन्साफ हो जाता है और जो गरीब हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है। राजस्थान में डकैतियां कम हुई है। मगर मैं यह कहूंगा कि लॉ एन्ड ओर्डर के लिये जितना वातावरण बनाया जाता है उतना लॉ एन्ड आर्डर खराब नहीं है। यह आज का वातावरण ऐसा क्यों बना। एक पार्टी विशेष इस वातावरण को पैदा करना चाहती है जिससे वे पोलिटिकल फायदा उठा सकें (चीअर्स) जिन्होंने गुन्हा किया है और जो गुनहगार हैं उनको सजा दी जावे, उनको फांसी दी जावे, हम उसके लिये तैयार है लेकिन यदि बदला लेने की भावना से काम किया जावे तो हम इसको कभी भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री भीमसिंह:--सबसे पहिले मैं जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं वह है सिविल सप्लाइज के बारे में। इसके लिए १८ लाख रुपये रखे गये हैं। इसके मुत्तल्लिक मैं यह समझता हूं कि यह रुपयों का दुरुपयोग है। सिर्फ स्टाफ मेन्टेन करने के लिए, उनको चालू रखने के लिए, यह महकमा चला रखा है। सिविल सप्लाई के अन्दर जो लेवी का महकमा है वह लेवी लेता है। लेवी का जो अनाज लिया जाता है उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है यह हमारे सामने है। बहुत सी जगहों पर गोदामों में अनाज पड़ा पड़ा सड़ रहा है। लेवी के अन्दर सरकार ने एक साल पहले सन् १९४९-५० में बाजरे को काश्तकारों से ९ रुपये मन के भाव से लिया था; जब कि शहर के अन्दर उसका भाव खुले बाजार में २० रुपये मन था। इस तरह से काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिये अब काश्तकारों ने सोचा कि हम तो खेती अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए करते है, इस तरह से नुकसान उठाने के लिए नहीं। अब उन्होंने खाद्यपदार्थों के बदले दूसरी चीजें बोना शुरू कर दिया है। गेहूं की जगह अब वे एक दो साल से अलसी सरसों वगैरह बोने लग गये हैं इससे भी हमारे यहां गेहूं की पैदावार घट रही है। शेखावाटी में अब मूंग मोठ खेतों में बोने लग गये हैं। नतीजा यह हुआ कि खाद्य पदार्थों की कमी आगयी। यदि आज सरकार लेवी बन्द कर देती है तो एक तरफ उसके एड-मिनिस्ट्रेशन के लिए जो रुपया खर्च करना पड़ता है वह बच सकता है। साथ साथ काश्तकारों को भी राहत मिल सकती है।

दूसरा सवाल जो आपके सामने रखना चाहता हूं वह है फेमिन के लिए। गत साल का ८५ लाख रुपया है और इस साल तीस लाख रुपया फेमीन को मीट करने के लिए रखा गया है। इस तरह से १ करोड़ १५ लाख रुपया बजट के अन्दर फेमीन के लिए रखा गया है। यह हमारा दुर्भाग्य है। सदन के सदस्यों

यह सुन कर आश्चर्य करेंगे कि फेमीन के लिए जो रुपया रखा गया है वह हमारा दुर्भाग्य कैसे है ? फेमीन जैसी चीजों के अन्दर तो रुपया बढ़ाना चाहिये वहां यह कहा जाता है कि इसको बन्द कर देना चाहये। फेमीन के रुपयों का जिस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, मैं बताऊंगा कि मेरे इलाके के अन्दर चुनाव के पहले कुछ एरिया के अन्दर एक इलाके में से शेखावाटी के एक सेठ साहब दौरे में गये और यह कह कर आये कि कुए बनवाने के लिए आपको रुपया दिया जायगा, आप कांग्रेस को वोट दो। जब फेमीन रिलीफ का काम आया, बरसात न होने के कारण अक्टूबर में ही यह काम शुरू हो जाना चाहिये था लेकिन उस समय तो यह शुरू नहीं हुआ और अब शुरू किया गया। वे सेठ साहब शेखावाटी के गांवों का दौरा करके आये तो उन्होंने उन गांवों में जहां कांग्रेस को वोट मिले उनको आश्वासन दिया और रुपया दिया गया। यह चीज कितनी खटकने वाली है।

इसमें कोई उज्र नहीं कि काश्तकारों को गांव वालों की उदरपूर्ति के लिए कुछ मिल जाय। एक गांव की मिसाल देता हू, जहां की आबादी ५०० की है। वहां पर २०० रुपये कुए की खुदवाई के लिए दिये गये। पर केपीटा एक आदमी आठ आने पड़े। एक दिन तो वे चने चबाकर ही निकाल लेंगे, बाकी दिन क्या खायेंगे? इस तरह से फेमीन के पैसे का दुरुपयोग नहीं तो क्या हो रहा है? वास्तव में अकाल पड़ा था, अक्टूबर के महिने में तभी लोग यू. पी. और मालवा की तरफ चले गये थे। जो महनत कर अपना गुजारा चला सकते थे वे यहां रह गये। राजस्थान सरकार के पास उस वक्त ऐसी मशीनें थी जैसे बोरिंग मशीन्स आदि जो एक दिन में एक ट्यूब वेल तैयार कर सकती थी लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान देती तो उनको चाहिये, था कि वे जांच करते कि इस इलाके के अन्दर पानी है या नहीं; वहां मशीनों के जरिये ट्यूब वेल खुदवाती। जहां २४ घंटे के अन्दर ५ लाख आदमियों को पानी पिलाने के लिए गांधी नगर में कुआ खुद सकता है तो उसका उपयोग अकाल क्षेत्र में क्यों नहीं किया गया। यह फेमीन के पैसे का दुरुपयोग नहीं तो इसे क्या कहा जा सकता है? सरकार १ करोड़ १५ लाख रुपया फेमीन के लिए खर्च कर रही है यह हमारे विशाल प्रान्त के लिए तारीफ की बात नहीं है।

अब मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं फेमीन के इन्तजाम के बारे में। जब मारवाड़ में अकाल पड़ा था, सम्वत् ९६ का अकाल पड़ा था, तब हमारे स्वर्गीय महाराजा उम्मेदसिंहजी ने किस तरह का इन्तजाम किया था; उससे हमारे इस सदन के सदस्य काफी वाकिफ होंगे। उन्होंने उस अकाल में ६ करोड रुपया खर्च किया था। हरेक आदमी को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सहायता दी गयी थी। इस हमारे प्रान्त के लिए एक करोड़ रुपया जहां पर (Per) व्यक्ति आठ आने या एक गांव के लिए १०० रुपया देकर या खर्च करके कोई कन्स्ट्रक्टिव योजना नहीं बनाई जा सकती। इसकी वजाय यह रुपया उन सड़कों के लिए खर्च किया जाता जहां मजदूर जाकर काम करते और अपना पेट पालन करते। इस तरह से यह १ करोड़ १५ लाख रुपया और १८ लाख रुपया सिविल सप्लाईज का है इसे हटाकर ९३ लाख के घाटे को अच्छी तरह मीट किया जा सकता

था। इसके अलावा दूसरी चीज आपके सामने जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि हमारा बजट रोजाना के मुआफिक बना दिया गया है। खास तौर से इस बजट में किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर यह नहीं बनाया गया है। एक दो ऐसी चीजें ले लेते कि हमें पांच सालों के अन्दर यह काम अवश्य पूरा करना है;उस लक्ष्य की पूर्ति के हेतु बजट बनाया जाता तो जनता का फायदा हो सकता था।

दो चीजें हर प्रान्त के लिए जरूरी होती हैं; पहली शिक्षा जिससे मानव अपना विकास कर सकें और मानव विकास में सहूलियत मिल सके। दूसरा खाद्य पदार्थ। बिना खाये कोई जीवित नहीं रह सकता। हमारे यहां शिक्षा की हालत ऐसी है कि यहां जो एडल्ट एज्युकेशन आन्दोलन चला था उसके अन्दर ७५ हजार आदमियों को शिक्षा प्रदान की गई। एडल्ट एज्यूकेशन जो प्रदान की गई उसमें हमें यह देख कर दुःख होता है कि हमारे इस सदन के १६० सदस्यों में से ८ सदस्य ऐसे हैं जो शपथ लेने के लिए शपथ–पत्र को भी नहीं पढ़ सके। यहां सदन में हमारे प्रान्त के गणमान्य सज्जन आये हैं क्या उन ७५ हजार में हमारे इन आठ सदस्यों की बारी नहीं आई।

एक सदस्य:–जिन आठ आदमियों के लिए कहा जा रहा है उनकी आई साइट (आंखों की दृष्टि) कमजोर थी; इसलिये वे शपथ पत्र नहीं पढ़ सके थे।

श्री भीमसिंह:–(अपना भाषण जारी रखते हुए) वास्तव में तो आइ साइट एक दो की कमजोर हो सकती है; सब की तो नहीं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गवर्नमेन्ट का लक्ष्य होना चाहिये कि हम हमारे प्रान्त के अन्दर शिक्षा अनिवार्य कर दें। अनिवार्य शिक्षा होने से सब आदमियों को शिक्षा मिल सकती है। बड़ौदा के भूतपूर्व महाराजा, जियाजी राव गायकवाड ने अपने राज्य में अनिवार्य शिक्षा करदी। २० साल में उसका नतीजा यह हुआ कि आज वहां का हर आदमी गुजराती लिखना पढ़ना जानता है। उसी मुआफिक हमारे प्रान्त में किया जाय तो अपने यहां ६० हजार के करीब जो पोलिंग सेन्टर्स खुले थे वे इस हिसाब से खोले गये थे कि आस पास के गांवों के लोगों को सहूलियत मिल सके। उसीके अनुसार हमारे प्रान्त में ६० हजार प्राइमरी स्कूल खोले जायं तो जनता को शिक्षा प्राप्ति में काफी सहूलियत मिल सकती है। यह तभी हो सकता है जब शिक्षा को अनिवार्य करदें और इसके साथ यह भी घोषित करदें कि जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाएगा उनको सजा दी जायगी, इस तरह से हम किसी योजना को लेकर चलें तो हमारे इन ६० हजार प्राइमरी स्कूलों पर करीब १२०० रुपया वार्षिक खर्च आता है इस तरह से करीब ८४ लाख रुपया वार्षिक खर्च होता है। शिक्षा के लिए हमारे बजट में ढाई करोड़ रुपया रखा गया है। ढाई करोड़ में से प्राइमरी स्कूलों के लिए करीब ६४ लाख रुपया रखा गया है। इस खर्च को कुछ बढ़ाकर रखा जाय तो मेरा अनुमान है कि पांच साल में जब तक हमारे बच्चे स्कूल में जाने लायक होंगे कम से कम साक्षर तो होंगे।

दूसरी बात अपने प्रान्त की प्रगति के लिए है। किसी खास सब्जेक्ट के अन्दर बहुत सी चीजों की आवश्यकता हमारे प्रान्त की होगी। जैसे खानों

वगैरह की आवश्यकता होगी, अपने प्रान्त की इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उनके लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (स्कॉलर शिप) देकर बाहर भेजना होगा। स्कॉलर शिप (छात्रवृत्ति) पर हमारे बजट में २ लाख के करीब रुपया रखा गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि वह २ परसेन्ट भी पर केपीटा नहीं पड़ता। इस बात के लिए कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन रखे जायं और जो फर्स्ट क्लास स्कॉलर हों उन्हें छात्रवृत्ति देकर बाहर आगे शिक्षा के लिए भेजा जाय तो प्रान्त को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है।

खाद्य पदार्थों के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय हमारे प्रान्त को ज्यादा से ज्यादा अनाज की आवश्यकता है। इसके लिए हमें पहले जो जमीनों के लिए आये दिन झगड़े हुआ करते हैं उनको हल करने की आवश्यकता है। जमीन ऐसी चीज तो नहीं जो रबड़ के समान बढ़ाई जा सकती हो। अब अपने को देखना है कि पर इन्डिविज्युअल, पर केपीटा जितना ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकें; ऐसी योजना निकालनी चाहिये। एक बीघे में चार पांच सेर अनाज पैदा कर लिया इससे हमारे प्रान्त को कोई फायदा होने वाला नहीं।

सरकार इस तरह के दूसरे कार्य भी करे। अपने यहां के खनिज पदार्थों को बढ़ाया जाय। जहां जमीन पड़ी हुई है उसको काम में लाया जाय। जहां इन्टेन्सिव कल्टिवेशन को बढ़ाया जा सके वहां कुओं के लिए, खाद के लिए अच्छे बीजों के लिए तकावी दी जाय, जिससे आउटपुट (पैदावार) ज्यादा हो सके। अभी कुछ महानुभावों ने फरमाया था कि बजट अच्छे ढंग से बताया जाना चाहिए। मेकेनाइज्ड कल्टिवेशन के लिए यह कहा गया है कि वह पूंजीवाद को बढ़ाता है। अगर हम प्रोडक्शन को घटाना चाहते हैं तो इस मेकेनाइज्ड कल्टीवेशन प्रोडक्शन को घटायें। अगर हम स्ट्रेट लेफ्ट में जाना चाहते हैं, राइट में नहीं रहना चाहते हैं, तो हमारे प्रान्त की गवर्नमेन्ट सारी चीजों में विकेन्द्रित रूप से काम करे और उसके अन्दर हरेक आदमी को, जो ८, १० घन्टे मेहनत करता है उसकी काबिलयत के हिसाब से उसको सुविधायें दी जायं जैसा कि कम्युनिस्ट रूस में होता है। उससे ज्यादा गरीब आदमियों को लाभ होगा, पैसे वालों को या किसी वर्ग विशेष को कम। आज हमारी कांग्रेसी सरकार, कहने को तो अपने को विचारों में लेफ्ट की तरफ रखती है, लेकिन प्रेक्टिकल रूप में राइट की तरफ झुकाव लेती है। या तो वह स्ट्रेट राइट में आजाय या स्ट्रेट लेफ्ट में अपने प्रान्त को ले जाय। हमें अपने को सोचना है कि हम अपने प्रान्त को स्ट्रेट लेफ्ट में ले जायं या राइट में। यह जो बीज की ढिलमिल नीति है इससे प्रान्त प्रगति की ओर नहीं बढ सकता।

श्री हिम्मतसिंह:- अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो सन् ५२–५३ का बजट पेश किया गया है उसमें करीब ९३ लाख का घाटा बताया गया है। वास्तव में वह घाटा है या नहीं यह समझने की बात है। सन ५२ - ५३ के लिए जो रेवेन्यू की इन्कम दर्ज की गई है वह ३,७६,००,००० रुपया के करीब है। सन् ५२-५३ के साल की लैन्ड रेवेन्यू इन्कम का अभी केवल अन्दाज ही किया गया है; ईश्वर ऐसा न करे कि बरसात कम हो और राजस्थान को फिर फेमीन

(अकाल) का सामना करना पड़े । हमें तो आशा यही करना है कि ईश्वर करेगा तो अच्छी बरसात होगी और पैदावार पूरी होगी । इसको देखते हुए सन ५०-५१ की आमद के आंकड़े ४ करोड़ से ऊपर पहुंचे हैं । तो राजस्थान की लैन्ड रेवेन्यू की इन्कम ४ करोड़ से अधिक ही मानी जा सकती है । ९३ लाख का घाटा इसलिये कोई आपत्तिजनक नजर नहीं आता है, लेकिन इस पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए । एक तरफ घाटा है और एक तरफ देखा जाय तो हमें इसको पूरा करने के लिए कोई चीज नहीं बताई गई है । खास खास आमदनी जो बजट के देखने से मालूम होती है, लैन्ड रेवेन्यू और एक्साइज एन्ड कस्टम्स के सिवाय और कोई नहीं है । कस्टम की आमदनी जैसा कि मालूम पड़ता है सेन्ट्र सब्जेक्ट (Centre Subject) है होने से एक दो या ५ सालों में शायद समाप्त हो जायगा, और काफी नुकसान (घाटा) राजस्थान का होगा । उसका हमें सामना करना पड़ेगा । इसको पूरा करने के लिए और देश की उन्नति करने के लिए हमारे सामने क्या ऐसी चीज है इसके लिए हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ।

सबसे पहले जिसके कि ऊपर राजस्थान की अधिक जन संख्या आदमियों की निर्भर ह वह काश्तकारी है । शायद मेरे ख्याल से ८० प्रतिशत राजस्थान में काश्तकार वर्ग है । इरिगेशन (सिंचाई) की ऐसी स्कीम हो जिससे राजस्थान के काश्तकार को पूरी तरह से हम सहायता पहुंचा सकें । इस सम्बन्ध में जो गवर्नमेन्ट की कोशिश हो रही है, एक भाखरा प्रोजेक्ट और दूसरा चम्बल प्रोजेक्ट बनाने की । यह तो बहुत बड़ी स्कीमें हैं और न मालूम कब तैयार होंगे, और कब हमारा स्वप्न पूरा हो, लेकिन राजस्थान में कोटा जो कि मालवा से मिला हुआ है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान का पंजाब है वहां ५ नदियां ऐसी हैं जिनका कि आज तक कोई उपयोग नहीं। किया गया है इनका वर्षों से कोई विचार ही नहीं किया गया । कोटा राज्य के समय में २ स्कीमें बहुत ही महनत से तैयार की गई थी और अभी तक मौजूद हैं । लेकिन शायद उनको बनाने में, तैयार करने में इस सरकार की निगाह ही नहीं गई है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो ऐसी छोटी स्कीमें ही पहले लेकर अपना काम कर लेना चाहिये। पैसा मिले तो बड़ी स्कीमें भी हम ले सकते हैं । चम्बल जैसी स्कीम जिसके बाबत आज ५ साल से विचार हो रहा है, शायद, मेरा यह ख्याल है कि इस स्कीम के ऊपर कई लाख रुपये खर्च हो गये हैं, और मुमकिन हो कि एक करोड़ के भी करीब शायद रुपया उठ गया हो, लेकिन अभी तक स्कीम स्कीम ही है। अभी तक इन रियासतों के झगड़ों में यह निर्णय नहीं हो सका कि इस चम्बल नदी का उपयोग ३ रियासतें किस तरह कर सकती हैं । उदयपुर रियासत ने एक स्कीम बनाई थी, एक कोटा रियासत ने बनाई थी और एक मध्य भारत की इन्दोर रियासत की स्कीम थी । यह तीनों स्कीमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने पेश हुई थी। उसको आज ४ साल हो गये, लेकिन अभी तक कोई निर्णय ही नहीं हुआ कि इनमें से वास्तव में कौनसी स्कीम अच्छी है, किसको लेना चाहिए और किससे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है । अपने अपने इन्जीनियर सब लाते रहे । सबने अपनी ही स्कीमें सराहीं, लेकिन इसके अन्दर, जहां तक मेरा इनफर्मेशन (सूचना)

है, ऐसा मैंने सुना है कि स्कीम तैयार करने पश्चात् भी कई खास २ बातें रह गई और यह कामयाब और सेटल्ड नहीं हो सकी। राजस्थान के लिए तो कोटा–चम्बल–बन्ध स्कीम एक सबसे बड़ी फायदेबन्द स्कीम ह। कहा ऐसा जाता है कि पहले एक बेरेज बनाया जायगा और इसके बाद शायद इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए बन्ध का काम लिया जायगा । यह बेरेज कहां बनाया जायगा वह साइट कोटे से ज्यादा दूर नहीं है पास ही है। कुछ इंजीनियरों ने वहां आज तक खड्डे खोदे और मालूम करना चाहा कि यहां पर बांध बनने की सम्भावना है या नहीं । नदी चम्बल राजस्थान में सबसे बड़ी नदी मानी गई है, हमेशा पानी बहता रहता है । काम करने का अवसर इंजीनियरों को सिर्फ २–३ महीने का ही रहता है । इस २–३ महीने के अर्से में उन्होंने देखकर नतीजा निकाला होगा, शायद वह ठीक परिणाम पर पहुंचे होंगे या नहीं, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वैसे देखा जावे तो यह स्कीम एक बडी स्कीम नजर आती है। इंजीनियर कुशल हैं यह बात खुशी की बात है। लेकिन इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि फायदा करने के बजाय कहीं नुकसान न हो जाय। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि चम्बल की स्कीम को सबसे पहले लेने की जरूरत है, इस बजट में उसके लिए जरूर कुछ न कुछ रखा जाना चाहिए था। जिससे यह विश्वास हो जाय कि यह स्कीम जल्दी से जल्दी तैयार होने वाली है और इससे हमको फायदा पहुंचेगा। गवर्नमेन्ट को पहले अपनी आय के साधन देखने चाहिए, खर्चे का तो ऐसा कोई खास सवाल ही नहीं है। जब तक आय स्थायी रूप से न बढे तब तक यह सरकार पूर्ति नहीं कर सकती है। कर्ज लेकर भी आय बढे तो भी श्रेष्ठ है; लेकिन एक ख्याल आ जाता है कि कर्ज लेकर भी आय बढाने की कोशिश की तो लोग बागी के दिलों में यह शंका पैदा होती है कि यह जो कर्ज लिया जायगा उसका भी सदुपयोग होगा या नहीं।

इस हाउस के सामने दोनों पक्षों के वक्ताओं ने भ्रष्टाचार (करप्शन), पक्षपात के बाबत काफी तस्वीर खींची है। इन्हीं दो कारणों से राजस्थान सरकार बदनाम है। इस तरह हमें देखना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार और पक्षपात का कारण क्या है?

(माननीय अध्यक्ष ने ११–४० पर आसन ग्रहण किया)

या तो त्याग की भावना कम है या लोभ की वृत्ति अधिक है। इस वक्त इस युग में तो पैसा ही देवता है और सब पैसा चाहते हैं। कोई ऐसा त्यागी नहीं है जो पैसा न चाहता हो। पैसा ही मुख्य चीज है। अब आप लीजिए राज्य के स्टेन्डर्ड को। सर्विसेज को आप इमानदारी के साथ कैसे मेनटेन कर सकते हैं। एक कमिश्नर को हजार, ८०० रुपया आप तनख्वाह देते हैं। रुपये की वेल्यू जब तीन आने है तो आप ख्याल करिये कि पुराने जमाने के मुकाबले में देखिए कि वह तनख्वाह कितनी होती है। इसी तरह से आप छोटे कर्मचारियों को लीजिए, एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को लीजिए एक कलेक्टर को लीजिए जिसको आप ६०० रुपये तनख्वाह देते हैं।

आज के स्टेन्र्डड के मुताबिक ६०० रुपये ज्यादा नहीं होते। आप यह देखिये कि पुराने जमाने में जो १०० रुपये एक तहसीलदार को मिलता था वही १०० रुपये आप कलेक्टर को दे रहे हैं। इधर आप पूरी तनख्वाहें न दें और उधर आप चाहें कि लोगबाग इमानदारी से काम करें; दोनों बातें बैठती नहीं हैं। आप पेट भरकर लोगों को खाने को दीजिए और पूरा काम लीजिए। इधर आप लोगबागों को भूखा रखना चाहते हैं और उधर आप चाहते हैं कि लोगबाग इमानदारी से काम करें, यह दोनों बातें नहीं बैठती। इसलिये मैं तो कहता हूं कि यह बजट जो आपके ९३॥ लाख के घाटे का है, यह बजट और भी ज्यादा घाटे का होना चाहिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का दारोमदार ही सर्विसेज पर ह। अगर आप सर्विसेज को संतुष्ट नहीं रख सके, तो आपकी मशीनरी ठीक नहीं रहेगी। मैं कहता हूं कि किसी के साथ पक्षपात चाहे करिये, पक्षपात तो होता ही आया है और होता ही रहेगा। शायद ऐसे पक्षपात, ऐसे करप्शन निर्मूल नहीं हो सकते हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगबागों को पेट भर खाने को देंगे तो राज्य प्रशासन का काम ठीक तरह से होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जिससे आप काम लेना चाहते हैं उनको आप पूरा खाने को दीजिए। अगर वह काम के योग्य नहीं है तो उसको निकाल दीजिएगा। ऐसा होने पर ही शासन का कार्य अच्छी तरह, ठीक तरह से, चल सकेगा।

पुलिस का बजट दो करोड़ और निब्बे लाख का है। इसके लिए जिक्र भी किया गया है, और यह भी कहा गया है कि यह बहुत ज्यादा है; लेकिन मैं कहता हूं कि दो करोड़ निब्बे लाख का बजट कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि जिसकी जरूरत हो तो ज्यादा भी किया जावे, कम की जरुरत हो तो कम किया जावे। देखना तो यह है कि वास्तव में कितने बजट को रखने की जरूरत है, कितने आदमी हमें चाहिए, कितने आदमी हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं और कितने आदमी खाली तनख्वाह ही पाने वाले रह जाते हैं। खाली पुलिस का बजट बढा देने से ही ला एन्ड आर्डर मेंटेंन नहीं हो सकता। लॉ एन्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिए एक और दृष्टिकोण पर विचार करना होगा; वह है आर्थिक दृष्टिकोट। एक समय की बात है कि कुछ मजदूर लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला। वे काम पर चले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मजदूरी भी नहीं मिलती है, क्या करें? पहले रियासतों के वक्त में मजदूरों के लिए पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में काफी काम खोले जाते थे। आज सरकार की तरफ से कम काम खोले जा रहे हैं। इसलिये रोजगारी नहीं मिलती ह। लेबर भी पैसा चाहता है। उसका आर्थिक बोझा पूरा नहीं हुआ है और न होने की कोई हालत ही नजर आती है।

ग्राम पंचायतों के सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि गांवों से नये नये कर वसूल करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है। यदि ग्राम पंचायतों का काम ठीक तरह से चलता तो कोई बात नहीं थी और इससे गांवों का काम भी ठीक तरह से चलता। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि ग्राम पंचायतों का काम इतना खराब है कि लोग उनसे तंग आ गये हैं।

माननीय अध्यक्ष:—आप एक मिनिट और बोल लीजिये।

भीमसिंह:—सर, दो मिनिट दियें जावें।

ग्राम पंचायत के विषय को छोड कर में लैन्ड रेवेन्यु के विषय पर आता हूं। लैन्ड रेवेन्यु के लिये यह अर्ज करना है कि यहां के लैन्ड रेवेन्यू का काम कितना खराब हो गया है? उसका मुख्य कारण यह है कि कामन टिनेन्सी एक्ट अब तक नहीं बनाया गया है। जो काम सबसे पहले होना चाहिये था वह आज तक नहीं हुआ है। अब सुना है कि ऐसा एक्ट बन रहा है और हाउस के सामने आयेगा। लेकिन अब तक तीन वर्ष में, इसके अभाव में, जो जो कठिनाइयें, आपत्तियें और खराबियें पैदा हुई हैं वे सब किसी एक एक्ट के न होने के कारण ही हुई है। अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरह के टिनेन्सी एक्ट्स और टिनेन्सी लॉ थे। एक रियासत का अफसर दूसरी रियासत में भेज दिया जाने पर वह वहां के टिनेन्सी एक्ट से कत्तई नावाकिफ था; इसके फलस्वरूप उन्हें काम चलाने के लिये बडी कठिनाइयें पैदा हुई क्योंकि वे जानते नहीं थे कि कैसा टिनेन्सी एक्ट वहां पर लागू है। यदि जोधपुर का अफसर कोटा भेज दिया जाता और कोटा का अफसर बीकानेर भेज दिया जाता तो वहां उनको दूसरी तरह से काम करना पडता। इसलिये तमाम काम में घोटाला हो गया। मेरा ऐसा ख्याल है कि पटवारियों के कागजात जिस तरह के कोटा रियासत में चल रहे हैं उन्हें औरों के लिये भी स्वीकार करने का विचार किया गया है यानि पटवारियों के कागजात जो कोटा के नमूने के हैं वे ही सभी जगह कुल राजस्थान में चालू होंगे। पर पटवारियों को ट्रेनिंग देने के लिए कोई ऐसा खास कदम नहीं उठाया गया है। यदि एक्ट पास हो गया और पटवारी तैयार नहीं हुए तो हमारे तावे में यह काम नहीं आयेगा। जहां तक मेरी सूचना है पटवारियों की ट्रेनिंग तो दूर रही, प्रेस्क्राइब्ड (निर्धारित) फार्म्स भी नहीं हैं। कोटा रियासत में पटवारियों के पास अपना काम करने के लिये हर चौथे साल कागजात बदलने पडते हैं। आज उनके पास कागज नहीं है। पांच साल या छः साल का रेकर्ड पिछले चार साल के रेकर्ड में ही दर्ज कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष:-इससे पहले कि सदन की बैठक समाप्त हो, मैं घोषणा कर देना चाहता हूं कि बोलने वाले अधिक हैं और दोनों पक्ष के आपस में तय हुआ है, जिसके अनुसार सरकार की तरफ से इसका जबाब परसों यानी १४ तारीख को दिया जायगा। और भी जो बोलने वाले हैं वे अभी बोलेंगे और परसों इस बहस को समाप्त कर दिया जायगा।

श्री विशंभरनाथ जोशी:-अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे ज्यादा निराशा इस बजट में यह देख कर हुई है कि यह बजट दकियानूसी और पुराने तरीके का है। जैसा कि रियासतों के इंटीग्रेशन से पहले अलग अलग रियासतों के बजट हुआ करते थे उसी तरह का यह बजट भी है। चाहे उसके बनानेवाले सज्जन का मकसद या ध्येय यह न रहा हो लेकिन उसका खास तौर से मतलब यह है कि समाज का आर्थिक स्तर ज्यों का त्यों रखा जाय। जबकि राजस्थान का आज का समाज चाहता है कि

शासन व समाज का पुराना ढांचा जल्दी से जल्दी बदल दिया जाय, यह बजट खास तौर से निराशा पैदा करने वाला बजट है जैसा कि पहले बोलने वाले सज्जन अपने विचार प्रगट कर चुके हैं ? वाकई यह बजट अहलकारों और सेक्रेटरियों का तैयार किया हुआ मालूम होता है। अधिकारियों की तनखा, दफतर खर्च और ऐसा ही और हिसाब लगा कर इसका तखमीना हेड ओफ दी डिपार्टमेन्टस ने जैसा भेजा उसमें सचिवालय वालों ने कुछ हेर फेर कर दिया; इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा मालूम पडता है और उसी हालत में यह हमारे सामने आ गया है।

एक बात मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे प्रान्त का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां की जनता अशिक्षित है। सौ में से ९० लोग केवल अंगुष्ट का निशान करते हैं। उनको प्राइमरी एज्युकेशन मिलेगी, ऐसी आशा थी उन्हें कम से कम इस हद तक शिक्षित करना है कि वे समाज की और सरकार के प्रति अपना कर्त्तव्य समझ सकें और अपनी राय व वोट ठीक तरह से दे सकें। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा खतरा है जनता की अज्ञानता। आज हम जानते हैं कि ९० प्रतिशत प्रान्तवासी नाम तक नहीं लिख सकते। वे आसानी से इन्ट्रेस्टेड पार्टीवालों के प्रचार से बहकाये और बरगलाये जा सकते हैं। ऐसे लोग क्या सही भावना रख सकते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि राजस्थान में हजारों की तादाद में स्कूलें खुल जाती और गांव वालों को घरों के पास ही स्कूल जाने का मौका मिल जाता। देश का एक एक बच्चा नागरिक है और वह हमारे भावी किस्मत का मालिक है। लेकिन दुःख की बात तो यह है कि यहां की मेजोरिटी नासमझ और बिना पढी लिखी है। प्रजातंत्र मेजोरिटी का राज्य है इसलिये यह जरूरी है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा लोग अकलमन्द और होशियार हों। लेकिन जहां के अधिक लोग कुछ नहीं जानते वहां की अवस्था सोचनीय और दयनीय अवस्था है। इसे जल्दी से जल्दी हटाना चाहिये। ऊंचे ऊंचे आदर्श सिर्फ इन्ट्रेस्ट के लिये ही हैं। यह जरूरी है कि डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन मालिक हो। जब वे मास्टर हैं, मालिक हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उनको मालिकपन का काम करने लायक बनाया जाय। इसके लिये हमारी सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाया। हिन्दुस्तान का विधान इस बात का जिक्र करता है कि यदि आर्थिक समानता न दी जाय तो कम से कम समान अवसर (इक्वेलिटि ओफ अपोरचुनिटी) तो दी ही जायगी। जब तक आप राजनैतिक आधार पर समानता का लक्ष नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। राजनैतिक समानता का मायना है कि आज के समाज में सबको पढाई लिखाई आदि के एक से अधिकार प्राप्त हों। एक मनुष्य के पास पचास हजार रुपये हैं या चार लाख रूपये हैं, वह पढाई आदि में अपने बच्चों पर अधिक खर्च कर सकता है। लेकिन स्टेट का यह फर्ज है कि सबके बच्चों के लिये पढाई का इन्तजाम करे। विधान इस बात की आज्ञा देता है, लेकिन इस ओर कोई कोशिश नहीं की गई है।

इसके लिए कोई प्रोविजन बजट में रखने की कोशिश नहीं की गई। यह अफशोस की बात है।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि मुझे ज्यादा अफशोस इस बात का हुआ जब कि मैंने इस प्रान्त के बजट को देखा; यदि किसी दूसरे प्रान्त का बजट घाटे का बजट होता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मगर इस प्रान्त का बजट, हमारे राजस्थान का बजट, राजस्थान जो राजा महाराजाओं, जागीरदारों, डालमिया, बिडला आदि करोड़पतियों का प्रान्त हैं जो लोग आज हिन्दुस्तान के व्यौपार पर कन्ट्रोल किये हुए हैं, इस प्रान्त की सरकार को कोई जरूरत नहीं थी कि वह घाटे का बजट बनाए। यहां के करोड़पति बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े बड़े शहरों का और यों कहिये कि सारे हिन्दुस्तान के व्यौपार का कन्ट्रोल करते हैं। हिन्दुस्तान का सारा व्यापार इन लोगों के हाथ में है। शेखावाटी, बीकानेर, आदि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि गली गली में हजारों लखपति और सैकड़ों करोड़पति मौजूद हैं। ऐसी हालत में मेरा यह निश्चित मत है कि यह टैक्स इन्कम टैक्स के रूप में न होकर किसी दूसरी सूरत में यानि बढ़ी हुई आमदनी पर लगाया जा सकता है। और उन पर लगाया जाना चाहिये जो करोड़ों की मात्रा में धन कमाते हैं और देने की शक्ति रखते हों। उन सेठों से धन लेकर स्कूलें, होस्पिटल्स आदि कामों में लगाये जा सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह भी एक गलत बात रही है कि उनको टच नहीं किया गया। उनको बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया गया। उनको बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया जाना यह एक अच्छी बात नहीं। यह कोई इन्कम टैक्स का सवाल नहीं। इन्कम टैक्स के अलावा ऐसा कोई दूसरा टैक्स लगाया जा सकता है और जिसे कानून के दायरे के अन्तर्गत लिया जा सकता हो लिया जाना चाहिये।

दूसरी जो पोलिसी इनक्रीज और डीक्रीज पर डिसकशन्स किये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज के प्रगतिशील जमाने के अनुसार जो करोड़पति जितना दे सकता है उससे लिया जाना चाहिये। अंग्रेजी की एक कहावत है जिसका तात्पर्य यह है कि जो जितना दे सकता है उससे उतना लिया जाए और जिसको जितना मिलना चाहिये उसको उसकी जरूरत के माफिक दिया जावे।

मेरा ख्याल है कि इस बजट के बनाने वालों ने इस सिद्धान्त को नजर अन्दाज कर दिया है। किसी भी जगह पहले से दो तीन स्कूलें व तीन चार होस्पिटल ज्यादा खोल देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ह। प्रान्त के बढने की यह रफ्तार बहुत धीमी रफ्तार है। जबकि हमें दूसरे प्रगतिशील देशों के साथ रहने के लिये फ्रन्टियर मेल की चाल से चलने की जरूरत है वहां हमें मालगाड़ी की चाल से नहीं चलना चाहिये। हम आगे चलना चाहते हैं मगर माल गाड़ी की रफ्तार से हमारे समाज की जरूरियातें पूरी नहीं होती। हमारा समाज छिन्न भिन्न नहीं हो जावे इस बात को हमें देखना है। यदि हम चाहते हैं कि सारी तस्वीर स्टेट को खत्म न कर दे तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम उन व्यक्तियों के नाराजगी का ध्यान न दें। राजा महाराजा नाराज हो जावेंगे, यदि हम उन पर टैक्स लगावेंगे; उन्हें नाराज होने दें। हमे चाहिये

कि हमारी प्राइम नेसेसिटी आफ दी डे, (रोजमर्रा की मुख्य आवश्यकतायें), मौजूदा समय की जरूरतें जो हैं उनको पूरा करे। इसलिये बहुत सी बातों को बजट बनाते समय जो छोड़ दिया गया है; यह दुःख की बात है।

लॉ एन्ड ओर्डर के बारे में मैं यह कहूंगा कि लॉ एन्ड आर्डर का होना इस प्रान्त के शासन की स्थिति को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। यदि लॉ एन्ड ओर्डर देश में कायम नहीं हुआ तो देश की स्थिति खतरे में है। इसलिये मैं माननीय मंत्री ने जो बातें कही है उनका समर्थन करता हूं। मगर मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं; इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने इस बात को सिर्फ चार लाइनों में ही कह डाला है।

क्या कारण है कि हमारे यहां चोरियें बहुत होती हैं। पहले भी होती थी। अफसर वे ही हैं जनता भी वही ह। मजिस्ट्रेट पहले भी होते थे और अब भी है। पहले चोरियें हुआ करती थी और खुला करती थीं; मगर आजकल जो चोरियें हुआ करती हैं उसका पता नहीं लगता कि किसने चोरियें कीं। मैं तो समझता हूं कि इसका खास कारण यह है कि पहले इन्वेस्टिगेशन व चोर को पकड़ने के तरीके दूसरे थे। चोर को पकड़ कर सारे गांव में घुमाया जाता था और उसके बाद में बुरी तरह से पीटा जाता था। मार के आगे भूत भी नाचता है। भला चोर की क्या हिम्मत की वह मार के आगे टिक सके! वह बता देता था। मैं मानता हूं कि वह थर्ड रेट तरीका था और आज के प्रजातन्त्र के जमाने में उस तरीके को काम में नहीं लिया जा सकता। मगर इसके साथ साथ जब आपने यह कह दिया कि थर्ड रेट तरीके काम में नहीं लिये जावें तो जो फर्स्ट रेट तरीके हैं उनको भी तो पुलिस वालों को बताने चाहिये। मगर उन तरीकों को आपने अभी तक नहीं बताया। इसलिये पुलिस कर्मचारियों को नये तरीकों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये और उनके लिये साधन मोहिया किये जाने चाहिये। चोरियें तो अमेरिका, इंगलेन्ड आदि सभी देशों में हुआ करती है और वे लोग भी थर्ड रेट मेथड काम में नहीं लेते; फिर भी चोरियों का पता तो लगता ही है। वहां के रेकर्ड को देखने से पता लगता है कि ७०-८० प्रतिशत चोरियें बरामद होती हैं। यह कोई जरूरी नहीं हैं कि आप थर्ड रेट मेथड को ही काम में लें। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोर के हाथ के निशान उस मकान के किवाडों पर तो जरूर होंगे उससे भी वह पकडा जा सकता है। मगर पुलिस के पास केमरा नहीं। वह उसे नहीं देख सकती। जैसा कि अभी हाउस के सामने सवाल आया था कि सरकार को विद्यार्थियों पर गोलियें चलानी पडी। मैं यह कहूंगा कि उनके पास टीअर गैस थी; उसको वे लोग पहले काम में ला सकते थे। उससे उन लोगों की आखों में आसू आते और वे लोग उसे बर्दाश्त न कर सकते और भाग जाते; जिससे गोली चलाने की दुर्घटना बच जाती। (चीअर्स) कहने का मतलब यह कि पुलिस के लोगों के पास पूरे साधन होने चाहिये, क्या इसके लिये कोई कदम उठाया गया है? अफसरों को इधर से उधर बदलने से चोरियें बन्द नहीं हो सकती हैं।

तीसरी बात शिक्षा के बारे में जो फंडामेन्टल पोलीसी की है वह यह है कि शिक्षा का ढांचा अभी तक वही है जो पहले अंग्रेजों के जमाने में था। आज भी वही पुस्तकें हैं, जो पहले अंग्रेजों के जमाने में पढाई जाती थीं। ब्रिटिश सरकार ने अपनी शिक्षा प्रणाली बनाई थी वह सिर्फ उनके पास काम करने के लिये नौकर, क्लर्क, आदि के लिए बनाई थी और उसी ढंग से शिक्षा दी जाती थी। उस समय दूसरी दुनिया थी हमारे लिये, दूसरा जमाना था। भारत उस समय आजाद नहीं था। न भारतवासियों को आजाद देश के आजाद नागरिक की जिम्मेदारी को पूरा करने की कोई जरूरत थी और इसलिये उस समय इस प्रकार की शिक्षा के लिये कोई प्रोविजन नहीं था। ब्रिटिश लोगों को क्लर्क, आई० सी० एस०, सेक्रेटी, आदि की जरूरत थी इसलिये उन्होंने स्कूलें और कालेज, फेक्ट्रीज आदि बनाई। आज भारत आजाद है और आजाद भारत में आजाद नागरिकों की सी शिक्षा मिलनी चाहिये। आज जमाने की जरूरत बिलकुल अलग है। आज के समाज की जरूरत बिलकुल दूसरी तरह की है। हमें शिक्षा प्रणाली को आज के जमाने के माफिक बदलते हुए समाज की आवश्यकता और सोसाइटी की जरूरत के माफिक बनाने की जरूरत है।

आज हमारे समाज में इस समय शिक्षा प्रणाली को ओरगेंनाइज करने की जरूरत थी। इस नये जमाने की जरूरत के अनुसार बनाया जाना चाहिए था; किन्तु आज जब सब महकमों ने काफी तरक्की की है कई नयी नयी बातें की है। परन्तु एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट में आजादी के बाद आज तक बुनियादी हेरफेर नहीं हुआ, सैद्धान्तिक परिवर्तन नहीं हुआ। यह प्रान्त का विषय है, सेन्टर सब्जेक्ट नहीं, जो हम सेन्टर पर निर्भर रह सकें। आज की आवश्यकता के अनुसार हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में हेरफेर करने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि मेथड्स आफ एज्यूकेशन वही ह जो अंग्रेजों के जमाने में था।

विरोधी दल ने जो सुझाव दिया उसके बारे में मुझे जो निवेदन करना है वह यह कि सरकार के जिम्मेवारी के पद पर रह कर दोषारोपण करना उनका कर्तव्य नहीं होना चाहिये। यह उनकी गलतफहमी है। विरोधी दल में होने के कारण उनका कर्तव्य है कि जो बातें उचित हैं उनको बतायें। हिन्दुस्तान में आजादी आई है वह सिर्फ कांग्रेस वालों के लिए ही नहीं आयी है उनमें सबही का शेयर है। सभी उसके हिस्सेदार हैं।

विरोधी दल के नेता ने जोर दिया कि शराब पीने वालों के लिए सहूलियत होनी चाहिये। उसका काट उसी दल के एक सदस्य ने कर दिया है। अपोजिशन की मंशा क्या है? विरोधी दल के नेता ने जो बात कही है वह उन्हीं के पार्टी के सदस्य के काट लेने से उसमें कोई तथ्य मालूम नहीं देता।

इसके अलावा उपनेता ने बहुत ज्यादा हमदर्दी सर्विसेज के बारे में बतायी हैं। उनका कहना है कि उनको प्रोमोशन नहीं मिलता है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने हददर्दी दिखाई है; वे उच्च श्रेणी के सर्विसेज वालों के

लिए बतायी है, ऊंचे पद पर काम करने वाले अधिकारियों के लिए बतायी है। गरीब श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उन्होंने जिक्र तक नहीं किया जैसे पटवारी आदि।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-On the point of order Sir. I think the honourable member is not at all correct when he says that I mentioned any particular Class of Government Officer in my Speech.

श्री भगवानसिंह तरंगी:-मैंने ध्यान से सुना था उन्होंने ऐसा ही कहा था।

श्री बेलजी:- माननीय अध्यक्षजी, बजट के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने देखा था कि आजादी मिलने के बाद हमको सुख मिलेगा। लेकिन हमारे राजस्थान के अन्दर दो साल से अकाल पड़ा हुआ है किसान एक जंगल के अन्दर रहते हैं। उनके लिए कोई धंधा मजूरी नहीं खोला गया है। किसान बेचारे नंगे भूखे पड़े हुए हैं।

तकावी के नाम से जो रुपया मिलता है वह उन बड़े किसानों को मिलता है। गरीब छोटे छोटे किसानों को नहीं। गरीब किसानों ने दो दो साल से अर्जियां दे रखी है लेकिन उनका जवाब तक नहीं दिया जाता। वे बेचारे भटकते हुए यहां आते हैं-लेकिन उनको विश्वास नहीं होता कि उनको तकावी मिल ही जायगी। उत्तर तक नहीं मिलता। भटक कर वापिस चले जाते हैं।

आज हम देखते हैं कि नांगल-बांध, चंबल बांध के लिए रुपया खर्च हो रहा है: लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए जो भील क्षेत्र हैं, हमारे उधर पहाड़ है, बड़े बड़े मगरे हैं अगर उधर पहाड़ों के अन्दर तालाब बनाये जायेंगे तो फायदा होने का नहीं।

सड़क के विषय में जो बातें बताई गई हैं उस सम्बन्ध में मैं यह कह दूं कि हमारे उधर कहीं सड़क बनाई गई है। उधर ५० आदमी जाते हैं उनको भी वापिस आना पड़ता है। जहां पचास मजदूरों को भी काम पर नहीं लिया तो इस तरह से कब तक काम चलेगा। जहां अकाल पड़ा है किस तरह से गुजारा होगा। सरकार को दर्द होना चाहिये। मजदूरों के लिए धंधे खोले जाने चाहिये।

जंगल के विषय में जो कानून चला आ रहा था वह भी जंगल अब सरकार काट रही है। आज सब जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। जंगल बनाने का सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे जंगल आगे बढ सकें। कानून बना दिये गये हैं लेकिन गरीबों का भला नहीं होता। कानून के अन्दर यह बताया जाता है कि गरीबों को आराम मिलेगा, कल्याण होगा। आज इसके कारण किसान बरबाद हो रहे हैं। बेचारों को महनत मजदूरी भी नहीं मिल रही है। वे जंगल से कुछ कमा लेते थे, वह भी बन्द हो गया है। केवल १० आने कमाते थे, बाल बच्चों का गुजारा करते थे। जंगलों पर भी टैक्स लगा दिया गया है।

हमारे यहां शिक्षा का यह हाल है कि हमारे किसानों के लडके एक बड़ की छाया के नीचे, नदी के किनारे चालीस पचास लडके पढ़ते हैं। उन लड़कों को बिठाने के लिए किसी स्कूल का होना बहुत जरूरी है, किसी मकान का होना बहुत जरूरी है। सरकार को इस बारे में दरख्वास्त दी लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसको पांच साल होगये। हम सोचते थे हमारी सरकार गरीबों का भला करेगी लेकिन जो बद-इन्तजामी अंग्रेजों के जमाने में थी उससे भी ज्यादा मुसीबत गरीबों की अब हो रही है।

हमें यह कहा गया कि किसानों को सहायता, तकावी मिलेगी। जिस ढंग से अर्जियां या दरख्वास्तें देने को कहा गया था वह अर्जियां, दरख्वास्तें किसानों ने दीं। इसके लिए सरकार की ओर से एलान भी हुआ, सब किसानों ने दरख्वास्तें भी दीं। कई जगहों से अर्जियां दी गई। कम से कम एक लाख अर्जियां बांसवाड़े जिले से दी गईं, लेकिन तकावी के नाम से किसानों को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। किसानों को आश्वासन दिया गया था कि तकावी मिलेगी, कुए खोदो, बैल खरीदो, लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। उन बेचारों ने कुए भी खोदने शुरू किये। कई कुओं में तो पानी भी निकलने लगा, लेकिन उनको कोई रुपया अब तक नहीं मिला, वह निराश हो गये हैं। उनके जो घरों के अन्दर बैल थे वह भी कुए खोदने के लिए बेचने पड़े। उनको फायदा तो दूर रहा, उल्टा घाटा खाना पड़ा।

जैसी स्थिति हमारे उधर किसानों की है, जैसी स्थिति हमारे उधर आदिवासियों की है उसको देखकर सरकार को उनकी भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। वहां २ साल से अकाल पड़ रहा है। वे लोग जिन्दा रह सकें ऐसा कुछ होना चाहिए।

* * * *

श्री भगवानसिंह तरंग:-माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब कि एक कानूनी, जनता की चुनी हुई, उत्तरदायी सरकार काम कर रही है तब यदि जनता उनसे यह आशा रखे कि उनके अभाव, अभियोग, उनकी दिक्कतें, उनकी असुविधाएं दूर होंगी, तो मैं समझता हूं कि कोई बेजा बात नहीं होगी (हियर, हियर)

बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं यह मानता हू कि कई ऐसी मदें हैं कि जिनसे ग्रामीण जनता का लाभ हो सकता है, लेकिन अब तक की जैसी परम्परा रही है, उससे यह नहीं जान पडा कि वह वस्तुतः देहाती जनता के काम आने वाली हों। अभी तक शिक्षा और ग्रामीण जनता की बेहतरी के लिए बने हुए महकमों पर काफी रुपया बतलाया गया है, लेकिन मेरा यह तजुर्बा है कि ग्राम-सुधार और जनता की भलाई के विभाग, जैसे सहकारी विभाग, पंचायतें हैं, जिनका ग्रामीण जनता से सीधा सम्पर्क रहता है, इनके द्वारा आज भी वही रीति-नीति अपनाई जा रही है कि उन भोले ग्रामीणों को लाभ नहीं होता है।

मैं झालावाड़ जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो उसमें पंचायतों की जो भी दशा है अगर उसकी जानकारी की जाय तो बड़ा आश्चर्य होगा। उन पर व्यय किया गया रुपया

* * *Expunged as ordered by the Chair.

व्यर्थ जा रहा है, और उसका कोई सदुपयोग नहीं होता। मैंने इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन किसी से भी उस सम्बन्ध में कुछ भी संशोधन नहीं किया गया।

झालावड़ा जिले की जो कुछ समस्यायें है। उनकी ओर सदन का ध्यान- में आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा डिविजन के सम्बन्ध में, उसकी बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाये जाते, न मालूम क्यों? मैं झालावाड़ का जिक्र कर देना चाहता हूं कि उत्तरदायी शासन के समय में वहां पर पानी की समस्या थी। वहां नल लगाये जाने के लिए कुछ रुपया मन्जूर किया गया था, लेकिन वह स्कीम कतई कार्यान्वित नहीं की गई। वह रुपया मेरे ख्याल से १० लाख के करीब करीब था। इसी तरह से वहां की सडकों की मरम्मत व निर्माण के लिए रुपया मन्जूर किया गया था। सड़कों का हाल मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के बहुत कम भागों में वैसा होगा। उस क्षेत्र में उन सड़कों के लिए सब सामान इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन उनका दुरुपयोग होता है और कोई सड़क नहीं बन पाती है। इस तरह की चीजें ५-७ साल से चल रही हैं। तो यह बहुत ही सोचनीय है, झालावाड़ में पीने के पानी का यह हाल है कि वहां ४ आना फी मटकी पानी आता है। अगर वहां की पानी की समस्या को हल नहीं किया गया तो वहां की जनता बडे संकट में पड जायगी।

इसी तरह से पिछड़ी हुई जातियों का हाल है: विशेषकर जरायम पेशा जातियों का। बहुत कम रुपया उनकी कोलोनीज के लिए खर्च किया जाता है। बताया जाता है कि १ लाख रुपया बजट में उसके लिए रखा है। यह सिर्फ एक कंजर कोलोनी के लिए है। इस तरह से कई कोलोनीज और है जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह कोलोनीज पुलिस के हाथ में है, उनका प्रबन्ध वे करते हैं। वे उन बेचारों को बड़ी बड़ी तकलीफें देते हैं और सारे रुपये का उपयोग पुलिस करती है। वे कंजरों के साथ मिले हुए हैं और कंजरों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। सारा रुपया खराब होता जा रहा है। इस तरह की खराब हालत जरायम पेशा जातियों की है। उस पर रुपया तो खर्च नहीं किया जाता है, और जो रुपया खर्च किया भी जाता है तो वह इस तरीके से खर्च नहीं किया जाता है। मेरे एक मित्र अलवर और भरतपुर से आये हैं, उन्होंने कुछ ऐसी जातियों का जिक्र किया था जो कि विभाजन के बाद अपने घरों से अपनी जमीनों से बेदखल कर दिये गये थे; वे दूसरी जगह बस रहे हैं। उनके बसाने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। वे वहां इतनी तादाद में पड़े हुए हैं कि उनकी हालत पर विचार करने पर ही दुख होता है। इतना होने पर भी उनकी तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी जाती है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसके लिए काफी विचार किया जायगा।

और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके आंकड़े प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। अगर हमें जनतंत्र को कामयाब बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी सदन पर है। हमें अपने पुराने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है, केवल भाषण देने की

दृष्टि से ही हमें कोई वाद–विवाद नहीं करना है। हमें जनतन्त्र का स्वतंत्र वातावरण निर्मित करना है। हमें चाहिए कि उसके लिए हम कदम उठायें और जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दें। खाली आलोचना और बहस से ही हम उस उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं पा जायेंगे। अगर हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो उस जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता है जिसके द्वारा चुने जाकर हम यहां आये हैं। मैं यह आशा करता हूं कि हम ऐसा करेंगे। यदि हम अपनी जनता के प्रति वफादार हैं तो जहां से हम चुनकर आये हैं हमें उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये और उनके दुख-निवारण की ओर कदम उठाना चाहिये अब भी हमे ऐसा कर सकते हैं।

विधान कार्य

बीकानेर नगर पलिका (संशोधन) विधेयक १९५२

माननीय अध्यक्ष:—श्री नाथूराम मिर्धा अब बीकानेर नगरपालिका अधिनियम १९२३ के अग्रेतर संशोधन का विधेयक पुरः स्थापित करेंगे।

माननीय नाथूराम मिरधा:—माननीय अध्यक्ष, मैं बीकानेर म्युनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, १९५२ को हाउस के सामने पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि बीकानेर नगरपालिका अधिनियम १९२३ के अग्रेतर संशोधन का विधेयक पुरः स्थापित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री नाथूराम मिरधा:—माननीय अध्यक्षजी, मैं बीकानेर नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९५२, पुरः स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष:— विधेयक पुरः स्थापित किया गया।

हाउस–कमिटी की नियुक्ति

माननीय अध्यक्ष:—नियमोपनियम की धारा १२ के अनुसार ४ सदस्यों की एक हाउस कमिटी निश्चित करता हूं जिसके सभापति डिप्टी स्पीकर होंगे:—

१. श्री सम्पतराम
२. श्री रोशनलाल
३. श्री मंगलसिंह
४. श्री खेतसिंह

डिप्टी स्पीकर सहित पांच सदस्य होंगे।

पिटिशन कमिटी की नियुक्ति

पिटिशन कमिटी के लिए मैं इन ४ सदस्यों के नाम घोषित करता हूं; इस कमिटी के सभापति डिप्टी स्पीकर होंगे:–

१. डा० मंगलसिंह

२. श्री श्यामलाल गोयल

३. श्री मदनमोहन

४. श्री तार्नसिह

अब सदन की बैठक दिनांक १४ अप्रेल १९५२ ई० प्रातःकाल ८।। बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(इसके पश्चात् सदन १२–४५ बजे, सोमवार, दिनांक १४ अप्रेल १९५२ ई० के प्रातःकाल ८–३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

टाउन हॉल
जयपुर
११ अप्रेल, १९५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर.